रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10022020-216031
CG-DL-E-10022020-216031

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 31, 2020/माघ 11, 1941
No. 30] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 31, 2020/MAGHA 11, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2020

फा. सं 17/4/2018-ईपी (एग्री.IV).—केन्द्रीय सरकार ने 'कृषि निर्यात नीति का कार्यान्वयन' करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के लिए दिशा–निर्देश अनुमोदित किए हैं ।

1. प्रस्तावना

1.3 बिलियन उपभोक्ताओं के साथ बढ़ती निवल प्रयोज्य आय, बदलती खाद्य प्रवृतियों, बड़े कृषि क्षेत्र, विविधतापूर्ण कृषि और बड़ी जनसंख्या के कृषि पर निर्भरता ने भारत को एक बड़े उपभोक्ता बाजार और खाद्य उत्पादों के एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में विश्व के केंद्र पर ला दिया है। अक्सर यह सुझाव दिया जाता है कि 'मेक इन इंडिया' का एक अनिवार्य घटक 'बेक इन इंडिया' होना चाहिए अर्थात मूल्य वर्धन और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बदलती सामाजिक –आर्थिक, कृषि जलवायु, खान-पान पद्धतियों के साथ तेजी से बढ़ती वैश्विक जनसंख्या और सिकुड़ती कृषि जमीन ने वैज्ञानिकों और निर्माताओं के सामने यह चुनौती खड़ी कर दी कि हम किस प्रकार उगाएं और किस प्रकार विश्व के 7.5 बिलियन नागरिकों के लिए भोजन की व्यवस्था करें। भारत का पूरा ध्यान सतत रूप से उगाने, प्रचुर मात्रा में व्यापार करने और सद्भावना पूर्वक ढंग से प्रगति करने पर है। कृषि निर्यात यदि उचित रूप से अवसंरचना, सांस्थानिक

बैकअप, पैकेजिंग, मालढुलाई परिवहन और बाजार पहुंच के सहयोग वाले आंतरिक उत्पादन प्रणाली से जुड़ा हो तो यह कृष्य अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करने की स्थिति में होगा।

कृषि निर्यात नीति (एईपी) कृषि निर्यात केन्द्रित उत्पादन, निर्यात संवर्धन, किसानों को बेहतर प्रापण और भारत सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को समकालिक बनाने पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए तैयार की गई हैं।

2. एईपी का उद्देश्य एवं विजन

उद्देश्य

- कृषि निर्यातों को वर्तमान के 30+बिलियन अम.डा. से 2022 तक 60+ बिलियन अम.डा. तक दुगुना करना और इसके पश्चात एक स्थायी व्यापार नीति व्यवस्था से अगले कुछ वर्षों में इसे 100 बिलियन अम.डा. तक पहुंचाना।
- हमारी निर्यात बास्केट में विविधता लाना शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही उच्च मूल्य वर्धित कृषि निर्यातों को बढ़ावा देना।
- नई, स्वदेशी, जैविक, नृजातीय पारम्परिक एवं गैर. परम्परागत श्रेणियों का संवर्धन करना ।
- बाजार पहुंच अवरोधों से निपटने और स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपायों के समाधान के लिए सांस्थानिक तंत्र उपलब्ध कराना।
- वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ समेकन करके विश्व कृषि निर्यात में भारतीय हिस्से को दुगना करने का प्रयास करना ।
- विदेशी बाजारों में निर्यात अवसरों का लाभ उठाने में किसानों को सक्षम बनाना।

विजन

कृषि में भारत को विश्व में अग्रणी बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए उपयुक्त नीतिगत पद्धतियों के जरिए भारतीय कृषि की निर्यात क्षमता को बढ़ाना ।

3. स्कोप

स्कीम का उद्देश्य निम्नलिखित घटकों के जरिए कृषि निर्यात नीति, 2018 के विभिन्न घटकों को कार्यान्वित करना है:

(i) राज्य एजेंसियों को सहायता:

एईपी के पैरा 5.4 क में यह व्यक्त किया गया है कि कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक राज्य विभाग/संगठन को नोडल एजेंसी के रूप में अभिज्ञात किया जाएगा। इस तरह की नोडल एजेंसी का कार्य हितधारकों के साथ संलिप्त रहना, बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक बाधाओं की पहचान करना, निर्यातकों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ संपर्क करना, विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और एजेंसियों द्वारा संचालित स्कीमों को अभिज्ञात करना और राज्य सरकारों के लिए आवंटन को अधिकतम करना, विदेश से खरीददारों की जानकारी प्राप्त करके राज्य स्तर पर रिवर्स क्रेता – विक्रेता बैठकों का आयोजन करना, राज्य स्तर के निर्यातकों को प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय मेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, आदि हैं ।

वाणिज्य विभाग एग्री व्यवसाय, एग्री निर्यात और विदेशी व्यापार में पर्याप्त अनुभव रखने वाले दो परामर्शदाताओं की प्रत्येक राज्य में नियुक्ति के माध्यम से राज्य स्तर पर इस तरह की नोडल एजेंसी की क्षमता निर्माण, सहायता करने और उनके संचालन में एक सक्रिय भूमिका निभाएगा । राज्यों में अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए सहायता (प्रत्येक राज्य में 10) भी प्रस्तावित है ।

(ii) संस्थागत तंत्र के लिए सहायता:

एईपी के पैरा 5.4 घ में निर्यात की सहायता करने के लिए केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और क्लस्टर स्तर पर संस्थागत तंत्र की स्थापना का प्रावधान किया गया है। सभी संबंधित विभागों, संगठनों और राज्य सरकारों द्वारा दिये गए आदेशों का पालन

करने के लिए वाणिज्य विभाग में एक मॉनिटरिंग सेल की स्थापना की जाएगी। स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदनों की जांच और निगरानी के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) कार्य करेगी ।

पहचान किए गए क्लस्टरों के लिए सीईओ और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए सहायता प्रदान की जाएगी । कार्यालय, एफपीओ आदि की स्थापना हेतु क्लस्टर के लिए आरम्भिक अनुदान भी प्रदान किया जाएगा । राज्य सरकार निर्यात की बडी संभावना वाले उत्पाद विशिष्ट क्लस्टरों की सहायता करेगी और इन क्लस्टरों से निर्यात बढ़ाने के लिए सबंद्ध एंजेसियों के साथ कार्य करेंगी।

(iii) **क्लस्टरों के लिए सहायता:**

एईपी का पैरा 6.1 निर्यात-केंद्रित क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण पर जोर देता है जो उत्पादन के अधिक केंद्रित कटाई पूर्व और कटाई के बाद के प्रबंधन एवं उन क्लस्टरों से निर्यात के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला को अपग्रेड करने पर आधारित है । आरंभ में 46 क्लस्टरों (अनुबंध-I) को अभिज्ञात किया गया है। निम्नलिखित अभिज्ञात क्लस्टरों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी : -

क. क्लस्टरों में फसल कटाई के बाद का बुनियादी ढांचा

ख. क्षमता निर्माण

ग. पीपीपी-आईएडी के लिए अनुदान

घ. प्रयोगशालाएं

ड. नई तकनीक/नई मशीनरी का समावेश

च. जीएपी कार्यान्वयन

क्लस्टरों में समेकित फसलोपरान्त प्रसंस्करण सुविधाओं, प्रयोगशालाओं इत्यादि वाले चिन्हित क्लस्टर क्षेत्र में इस स्कीम के तहत सहायता उपलब्ध कराने के जरिए निर्यात केंद्रित अवसंरचना विकसित करने और एमओएफपीआई (पीएमके एसएएमपीडीए)/डीओसी(टीआईईएस)/डीएसी एंड एफडब्ल्यू (एमआईडीएच)/ डीएएचडीएफ (आईडीएमएफ) इत्यादि की सहायता से मानकीकृत प्रोटोकाल, पैकेजिंग स्वच्छता और पादप स्वच्छता मुद्दों का अनुपालन करते हुए निर्यात केन्द्रित कृषि उत्पादन और प्रस्संकरण और इसे विपणन चैनल के अगले लेवल से जोड़ने और नेटवर्किंग पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

(iv) **उत्पाद विकास और मूल्यवर्धन के लिए सहायता:**

एईपी का पैरा 6.2क स्वदेशी वस्तुओं के लिए उत्पाद विकास और मूल्य-संवर्धन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। नए उत्पाद विकास,पैकेजिंग में सुधार, सामग्री के भण्डार एवं उपयोग होने तक की अवधि में वृद्धि और उत्पादन क्षमता में सुधार/उत्पादन लागत में कमी पर अनुसंधान के लिए सहायता प्रदान की जाएगी ।

(v) **विपणन के लिए सहायता:**

एईपी के पैरा 6.2 ख मूल्य वर्धित जैविक निर्यात को बढ़ावा देने के उपायों का प्रस्ताव करता है। इसी तरह, पैरा 6.3 'भारत के उत्पाद' के विपणन और संवर्धन के लिए उपाय सुझाता है। इस घटक के अंतर्गत शैल्फ स्पेस, उत्पाद पंजीकरण, विशिष्ट जैविक, मूल्य वर्धित, पारम्परिक, जी आई, क्षेत्र विशिष्ट एवं ब्रांडेड उत्पादों के लिए विपणन प्रचार (प्रिंट/इलैक्ट्रांनिक), लक्षित देशों में रोड़ शो /बीएसएम तथा लक्षित देशों में उत्पाद प्रतिदर्श के लिए सहायता प्रदान की जाएगी ।

किसानों की सहकारी समितियों, उत्पादक समितियों आदि को सीधे निर्यात संपर्क प्रदान करने के लिए ई-कॉमर्स मंच उपलब्ध कराने के लिए एक पोर्टल भी विकसित किया जाएगा । पोर्टल के विकास, संचालन और रख-रखाव और हितधारकों के क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी ।

(vi) **अनुसंधान और विकास के लिए सहायता:** एईपी का पैरा 6.7 कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक अनुसंधान और विकास गतिविधियों पर जोर देता है । दुनिया भर में प्रजनकों से निर्यात योग्य फ़ोकस फसलों के जर्मप्लाज्म और अभिज्ञात बीज किस्मों के आयात के लिए मैचिंग फंड के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी । सहायता का उपयोग रॉयल्टी भुगतान, क्षेत्र परीक्षण, गुणन केंद्र, क्षमता निर्माण आदि के लिए किया जा सकता है।

4. पात्र संगठन

वैयक्तिकों,किसानों/उत्पादकों/उपभोक्ता समूहों, भागीदार/मालिकाना फर्मों,स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी), निर्यातकों, किसान उत्पादक संस्थाओं (एफपीओएस), कंपनियों, निगमों, सहकारिताओं सहकारी विपणन परिसंघों, स्थानीय निकायों, कृषि उत्पाद बाजार समितियों (एपीएमसी) एवं विपणन बोर्ड, राज्य सरकार की एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

भारत सरकार ने इस स्कीम का लाभ एससी एवं एसटी को देने के लिए निधियां नियत करने का निर्णय लिया है। आधारभूत पात्र मानदंड को पूरा करने के आधार पर अजा/अजजा लाभार्थियों को प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित निधि आंबटन की सीमा में स्कीम के तहत परियोजनाओं की संस्तुति को प्राथमिकता दी जाएगी। अजा/अजजा. संरक्षक (कों) को, जैसा भी मामला हो, कंपनी में बड़ा शेयर दिया जाएगा। ऐसी कंपनी के गठन /संघटन में कोई भी बदलाव अधिकार प्रदत्त समिति की पूर्व अनुमति से किया जाएगा।

5. सहायता का स्वरूप (विभिन्न उपघटकों के तहत उपलब्ध सहायता का ब्यौरा अनुलग्नक 2 में उपलब्ध कराया गया है।)

5.1 राज्य एजेंसियों को सहायता

क. परामर्शदाताओं की नियुक्ति-राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को राज्य सरकार के किसी विभाग अथवा एजेंसी को अभिज्ञात करने का अनुरोध किया गया है जिसे कृषि निर्यातों के लिए नोडल निकाय के रूप में घोषित किया जा सके। नोडल् एजेंसी की उपयुक्त कार्यप्रणाली में सहायता देने के उद्देश्य से इस घटक के तहत दो परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। शुरूआत में उन राज्यों में परामर्शदाता नियुक्त किए जा सकते है जिन्होंने क्लस्टर विकास कार्यकलाप शुरू किए हैं।

परामर्शदाता के लिए कृषि व्यापार,कृषि निर्यात और विदेश व्यापार में न्यूनतम 15 वर्षों का अनुभव अपेक्षित है। कृषि व्यापार या भारतीय विदेश व्यापार संस्थान से एमबीए आधारभूत योग्यता है। वाणिज्य विभाग के परमर्श से राज्य नोडल एजेंसी द्वारा स्कीम के कार्यान्वयन के लिए परामर्शदाता नियुक्त किए जाएंगे। नियुक्ति की विस्तृत शर्तें और परामर्शदाताओं द्वारा दिए जाने वाले आऊटकम राज्य नोडल एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।

नोट: नियुक्त किए जाने वाले परामर्शदाताओं की सेवा/पारिश्रमिक संबंधी मुद्दों पर उठे किसी विवाद में वाणिज्य विभाग पक्षकार नहीं होगा और करार संबंधित राज्य नोडल एजेंसी और परामर्शदाताओं के मध्य होगा।

ख. संभारतंत्र एवं स्थापना –राज्य नोडल एजेंसी की स्थापना में हुए संभारतंत्र और स्थापना व्यय के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। केवल कार्यालय सेट अप के लिए आवश्यक विशिष्ट मदों के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उप –घटक के तहत विशिष्ट व्यय के लिए अग्रिम अनुमोदन अधिकार प्रदत्त समिति से लेना आवश्यक है।

ग. अधिकारियों का क्षमता – निर्माण- प्रत्येक राज्य के लगभग दस अधिकारियों को निर्यात संवर्धन निर्यात संवर्धन निकायों और निर्यात संवर्धन परिषदों के क्रियाकलापों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस उप–घटक के अंतर्गत प्रख्यात संस्थानों जैसे आईआईएफटी, सीडब्ल्यूटीओएस आदि में क्षमता निर्माण पर हुए खर्च के लिए सहायता दी जाएगी।

5.2 सांस्थानिक तंत्र हेतु सहायता

(क) निगरानी प्रकोष्ठ के लिए इटर्न को नियुक्त करना- एईपी स्कीम के निगरानी प्रकोष्ठ में लगभग 10 इंटर्न (आवश्यकता आधार पर) को नियुक्त किया जाएगा। ये इंटर्न परियोजना निगरानी इकाई का भाग होंगे। वाणिज्य विभाग

के परामर्श से एपीडा द्वारा इंटर्न नियुक्त किए जाएंगे। नियुक्ति की विस्तृत शर्तें एवं आऊटकम एपीडा द्वारा तैयार किए जाएंगे।

नोट: नियुक्त किए जाने वाले इंटर्न की सेवा/ परिश्रमिक से संबंधित मुद्दों पर हुए किसी विवाद का वाणिज्य विभाग पक्षकार नहीं बनेगा और करार केवल एपीडा और इंटर्न के बीच होगा।

(ख) परियोजना निगरानी इकाई को शामिल करना- एईपी स्कीम की निगरानी के लिए परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) अभिज्ञात की जाएगी। पीएमओ के चयन के लिए एपीडा द्वारा खुला टेंडर निकाला जाएगा। इस स्कीम की वास्तविक निगरानी के लिए क्षेत्र –वार,उत्पाद-वार प्रगति,क्षेत्र-वार डाटा को दर्ज करने के लिए उपयुक्त फिल्टर एवं डाटा कॉलम और आरंभ से अंत तक इस स्कीम के तहत उपलब्ध कराए गए मूल्य के ब्यौरे आदि के लिए एक मास्टर डाटाबेस पीएमयू द्वारा विकसित एवं उसका रखरखाव किया जाएगा।

(ग) स्थापना व्यय – एईपी के लिए निगरानी प्रकोष्ठ के स्थापना व्यय के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ऑफिस सेटअप के लिए आवश्यक केवल विशिष्ट मदें ही पात्र होगी। इस उपघटक के तहत विशिष्ट व्यय के लिए अधिकार प्रदत्त समिति से अग्रिम अनुमोदन लेना आवश्यक है।

(घ) क्लस्टरों के लिए सीईओ को नियुक्त करना- क्लस्टर में स्थापना /योजना/समन्वय कार्यकलापों में सहायता के उद्देश्य से प्रत्येक क्लस्टर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सीईओ कलस्टर के नोडल कलेक्टर को रिपोर्ट करेगा और क्लस्टर से विशिष्ट उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहित करने वाली निर्यात संवर्धन एजेंसी के सहयोग से काम करेगा। स्कीम के तहत सहायता के लिए पात्रता हेतु क्लस्टर में परियोजना की आंरभिक परिवीक्षा सीईओ द्वारा की जाएगी। सीईओ परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा। क्लस्टर आधारित पद्धति के प्रमुख उद्देश्यों में से एक किसान को एफपीओ में संगठित करना और निर्यात क्लस्टर लिए मूल्य श्रृंखला के साथ में किसानों एकत्रित करने और उन्हें निर्यातक बनने के लिए प्रोत्साहित करना है और सीईओ को इन प्रयासों में मुख्य भूमिका निभानी होगी।

सीईओ के लिए कृषि व्यापार, कृषि निर्यात और विदेश व्यापार में न्यूनतम 15 वर्षों का अनुभव अपेक्षित है। कृषि व्यापार या भारतीय विदेश व्यापार संस्थान से एमबीए आधारभूत योग्यता होगी। डेयरी एवं समुद्री उत्पाद क्लस्टर के लिए, डेयरी एवं मात्स्यिकी में क्रमश: स्नातकोत्तर पर विचार- किया जाएगा। वाणिज्य विभाग के परमर्श से राज्य नोडल एजेंसी द्वारा स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सीईओ नियुक्त किए जाएंगे। नियुक्ति की विस्तृत शर्तें और सीईओ द्वारा दिए जाने वाले आऊटकम राज्य नोडल एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

नोट: नियुक्त किए जाने वाले सीईओ की सेवा/पारिश्रमिक संबंधी मुद्दों पर उठे किसी विवाद में वाणिज्य विभाग पक्षकार नहीं होगा और करार संबंधित राज्य नोडल एजेंसी और सीईओ के मध्य होगा।

(ड.) क्लस्टर के लिए स्टॉफ की नियुक्ति- क्लस्टर के सीईओ की सहायता के उद्देश्य से और क्लस्टर के विकास के लिए अधिकतम 2 व्यक्ति प्रति क्लस्टर को सीईओ के सपोर्ट स्टॉफ के रूप में राज्य नोडल एजेंसी द्वारा नियुक्त किया जाएगा। नियुक्ति की विस्तृत शर्तें और स्टॉफ द्वारा दिया जाने वाला आऊटकम राज्य नोडल एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा

नोट: नियुक्त किए जाने वाले स्टॉफ की सेवा/पारिश्रमिक संबंधी मुद्दों पर उठे किसी विवाद में वाणिज्य विभाग पक्षकार नहीं होगा और करार संबंधित राज्य नोडल एजेंसी और स्टॉफ के मध्य होगा।

(च) क्लस्टर ऑफिस, एफपीयू इत्यादि की स्थापना के लिए आंतरिक अनुदान – क्लस्टर कार्यालय, एफपीओ इत्यादि की स्थापना के लिए सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। ऑफिस सेट अप, एफपीओ आयोजित करने इत्यादि के लिए आवश्यक केवल विशिष्ट संदर्भ पात्र होंगी। उप –घटक के तहत विशिष्ट व्यय के लिए अग्रिम अनुमोदन अधिकार प्रदत्त समिति से लेना आवश्यक है।

5.3 क्लस्टरों के लिए सहायता

(क) क्लस्टरों में फसलोपरान्त अवसंरचना- इस उपघटक के तहत फसलोपरान्त प्रबंधन कार्याकलापों जैसे रखरखाव, ग्रेडिंग, प्री–कंडीशनिंग, पैकेजिंग अस्थायी भंडारण, परिवहन, वितरण, क्यूरिंग एवं पकने और दीर्घावधि भंडारण किया जा सकता है।

प्री कूलिंग इकाइयों की स्थापना, पैक हाऊस, मोबाइल प्री-कूलिंग इकाई,स्टेजिंग कोल्ड रूम, नियंत्रित अथवा बिना नियंत्रित वातावरण क्षमता वाली कोल्ड स्टोरेज इकाईयां, समेकित कोल्ड चेन प्रणाली, रेफ्रिजरेटिड वैन की आपूर्ति, रेफ्रिजरेटिड कंटेनर, प्राथमिक/मोबाइल प्रसंस्करण इकाईया, राईपनिंग चैम्बर, वाष्पात्मक/निम्न क्षमता वाले कूल चैम्बर, परिरक्षण इकाईयां, प्याज भंडारण इकाईया, जारी एनर्जी कूल चैम्बर, समेकित पैकहाऊस, पौध स्वास्थ्य उपचार इकाइंया जैसे यूएचटी,एचडीटी, चिकित्सा सुविधाएं, फ्यूमीगेशन चैम्बर इत्यादि, आईक्यूएफ सहित प्रसंस्करण अवसंरचना, ब्लांचिग/कुर्किंग लाईन, हाईटेक पैकेजिंग,हाईटेक सोर्टिंग/ग्रेडिंग हाई टेक कन्वेयर सिस्टम और ऐसी अन्य मदों, जो विशिष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है लेकिन अधिकार प्रदत्त समिति द्वारा कृषि उत्पादों के फसलोपरान्त प्रबंधन के लिए अनिवार्य रूप से निर्धारित है, से संबंधित परियोजनाएं स्कीम के तहत सहायता की पात्र हैं । उप –घटक के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं एवं शर्तें अनुलग्नक 3 में उल्लिखित है।

(ख) क्षमता निर्माण- इस उपघटक के तहत किसानों, एफपीओ, उद्यमियों, उत्पादन/ प्रसंस्करण/ निर्यात कार्यकलापों में वर्कफोर्स, निर्यातकों, अधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। प्रतिभागियों को उपयुक्त प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रम क्लस्टर में या क्लस्टर के बाहर आयोजित किया जाएगा जो लिए जाने वाले प्रशिक्षण की प्रकृति पर निर्भर होगा । प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर ध्यान केन्द्रित किया जाना है ताकि कृषकों की बड़ी संख्या को प्रशिक्षित किया जा सके। वर्क फोर्स के अलावा, विभिन्न खाद्य प्रोसेसरों विशेषकर एमएसएमई एवं गैर संगठित इत्यादि का क्षमता विकास आवश्यक है ताकि वे विदेशी बाजार एवं वैश्विक कृषि व्यापार मूल्य श्रृंखला में आने में सक्षम हो सकें।

(ग) पीपीपी-आईएडी के लिए अनुदान:- इस उप घटक के तहत आवेदक को भारत के उत्पाद का अग्रणी निर्यातक होना आवश्यक है। यह घटक इनपुटस अथवा हार्डवेयर के अलावा उत्पादकता वृद्धि से संबंधित किसान संबंधी सेवाओं के सभी प्रकारों और अन्य मध्यवर्तियों को कवर करेगा। आवेदक उत्पादन से विपणन और निर्यात तक सभी तथ्यों को कवर करते हुए एक एकीकृत मूल्य श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए परियोजना डिजाइन करने में पूर्णत: लचीले होंगे। प्रत्येक क्लस्टर के लिए कम से कम 5000 किसानों/ 5000 एकड के लक्ष्य के साथ परियोजना की अवधि 3-5 वर्षों की अवधि हो सकती है। प्रत्येक परियोजना में शामिल प्रमुख विशेषताएं की प्रमुख हस्तक्षेप निम्नानुसार है :

(क) किसानों को उत्पादक क्लस्टरों में जुटाना और उन्हें यथोचित वैध रूप से पंजीकृत करना अथवा क्षेत्र परियोजना (संयुक्त स्टॉक अथवा उत्पादक कम्पनियों, सहकारी समितियों, स्वयं सहायता संघों आदि) के लिए यथा उपयुक्त अनौपचारिक क्लस्टर का सृजन करना और

(ख) प्रौद्योगिकी सम्मिश्रण (इन्फ्यूजन)

(ग) मूल्य वृद्धि

(घ) विपणन समाधान

(ड.) परियोजना प्रबंधन

आवेदक को उन्नत/नवीन प्रौद्योगिकी लाने का प्रयास करने की आवश्यकता होगी जिससे उत्पादकता में वृद्धि हो सके और किसी विशिष्ट फसल अथवा बढिया फसल के क्लस्टर की मूल्य श्रृंखला तैयार कर सके और किसानों की निवल आय में वृद्धि कर सके। आवेदक को परियोजना (वस्तु) के अंतिम उत्पाद को अधिप्राप्ति करने की आवश्यक होगी अथवा वे अन्य अंतिम प्रयोक्ता संस्थाओं के साथ संकाय स्थापित कर सकते है जो अन्य ईण्ड उत्पाद को खरीदेंगे। आवेदक को नयी अवसंरचना का निर्माण करने, क्लस्टरों में उत्पादकता बढाने के लिए कृषि विस्तार से संबंधित गतिविधियों के साथ कृषि व्यय साथ को प्रोत्साहन देने के लिए निवेश करना होगा। आवेदक अपनी गतिविधियों को दर्शाएगा और परियोजना में अपने हिस्से के संबंध में वचनबद्ध होगा। उप-घटकों की विशिष्ट आवश्यकताएँ एवं शर्तें अनुबंध-4 में उल्लिखित हैं।

(घ) प्रयोगशालाएं : खाद्य पदार्थों सम्बंधी घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशाला अवसंरचना प्रदान करने के लिए सहायता दी जाएगी। प्रयोगशालाओं में सूक्ष्मजीव – विज्ञान, रसायनों इत्यादि के लिए स्क्रीनिंग / साक्ष्य जॉच की जा सकती है। प्रचालनों के लिए सहायता उपलब्ध नहीं होगी। प्रयोगशाला चलाने के लिए

आवेदक द्वारा उपभोज्य वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति और अर्हक तकनीकी संसाधनों सहायता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा उनके प्रचालन आरम्भ होने के 6 माह के भीतर संगत एजेंसियों से अपेक्षित प्रत्यायन/मान्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा। इस प्रकार सृजित प्रयोगशालाएँ/खाद्य परीक्षण सुविधाएँ लोगों की पहुँच में होगी और उचित प्रशुल्क पर उनके उत्पादों के परीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी।

(ड) **नवीन प्रौद्योगिकी /नई मशीनरी का आरम्भ :-** इस उप घटक के अंतर्गत क्लस्टरों में खाद्य प्रसंस्करण सुरक्षा एवं गुणवत्ता यथा लेजर भूमि लेवलर, प्रोपेल्ड स्प्रेयर, प्रीसिजन सीडर्स और प्लांटर्स, बीजारोपण के लिए ट्रांसप्लांटर, मल्टी थ्रैशर, कृषि प्रयोजनों के लिए ड्रोन इत्यादि के लिए किसी नए उपकरण अथवा प्रौद्योगिकी को अपनाने/खरीद के लिए सहायता उपलब्ध होगी। किसी प्रोद्योगिकी/मशीनरी की नवीनता का निर्धारण आवेदक द्वारा सत्यापित किया जाएगा। प्रस्ताव खेतों की कार्यकुशलता में महत्वपूर्ण सुधार और खेतों के कार्यबल में कठिन श्रम को कम करने के लिए होना चाहिए। ऐसी प्रोद्योगिकी / उपकरण/मशीनरी जो पहले से ही बहुतायत से प्रयोग में लाई जाती हो, को सहायता देने के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। अधिकार प्रदत्त समिति यह निर्णय लेगी कि कोई प्रोद्योगिकी / मशीनरी इस उप घटक के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है अथवा नहीं ।

(च) **जी ए पी कार्यान्वयन :-** वैश्विक जी ए पी के साथ अच्छी कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु जीएपी प्रमाणन आरम्भ किया गया है, ताकि किसान अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ घरेलू बाजार में भी अपने उत्पाद के लिए बेहत्तर मूल्य प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। आईएनडी जीएपी के अनुसार प्रमाणनके प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अंतर्गत शामिल की जाने प्रमाणन एजेंसियां एपीडा द्वारा अनुमोदित सूची के अनुसार होंगी।

5.4 उत्पाद – विकास के लिए सहायता

(क) नवीन उत्पाद विकास-इस उपघटक के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बाजार/रूचि/ प्राथमिकता पर आधारित नवीन/ सम्भावित उत्पाद श्रेणी का विकास करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। प्रस्ताव में पूर्व में किए गए समान कार्यों को न दोहराया गया हो। विकसित किया गया उत्पाद में आवेदकों के लिए नया राजस्व प्रवाह का निर्माण करने की सम्भावना होनी चाहिए। आगामी तीन वर्षों के लिए उत्पाद के वास्तविक अनुमानित निर्यात उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता होगी। सार्वजनिक क्षेत्र के आवेदकों के लिए भी सहायता उपलब्ध होगी, ऐसे मामलों में कार्य की रूपरेखा भी लोगों के लिए उपलब्ध होगी।

(ख) पैकेजिंग का विकास /शेल्फ लाइफ में बढोतरी:- निर्यात प्रयोजनों के लिए उपयुक्त नई पैकेजिंग/शैल्फ लाइफ में वृद्धि करने के उपायों का पता लगाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। प्रस्ताव में पूर्व में किए गए किसी समान कार्य को नहीं दोहराया जाना चाहिए। परियोजना में व्यर्थ सामग्री में कमी लाने/गुणवत्ता में सुधार करने उत्पाद की शेल्फ लाइफ को बढाने की सम्भाव्यता होनी चाहिए। परियोजना किसी जेनरिक उत्पाद लाइन के लिए अथवा अच्छी निर्यात सम्भावना वाले विशिष्ट उत्पाद के लिए होनी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के आवेदकों को भी सहायता प्रदान की जाएगी, ऐसे मामले में लोगों को कार्य की विषयवस्तु उपलब्ध कराई जाएगी।

(ग) उत्पादन की दक्षता में सुधार/उत्पादन की लागत में कमी लाने पर अनुसंधान करना:- किसी उत्पाद की उत्पादन दक्षता में सुधार हेतु परियोजनाओं निर्यात के लिए किसी उत्पाद की उत्पादन की लागत में महत्वपूर्ण रूप से कमी लाने वाले हस्तक्षेपों को सहायता प्रदान की जाएगी। प्रस्ताव के साथ आधार रेखा संकेतक और अनुमानित परिणाम भी उपलब्ध कराए जाएंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के आवेदकों को भी सहायता प्रदान की जाएगी, ऐसे मामले में लोगों को कार्य की विषयवस्तु उपलब्ध कराई जाएगी।

5.5 विपणन के लिए सहायता

(क) शेल्फ स्पेस के लिए सहायता:- उत्पादों की दृश्यता बढाने के लिए भारतीय ब्राण्डों / भारत के उत्पादों को शेल्फ स्पेस उपलब्ध कराने हेतु सहायता दी जाएगी। सहायता के प्रस्ताव के साथ शेल्फ स्पेस के लिए शुल्क लेने वाले फुटकर श्रृंखला / सुपर बाजार का बीजक दिया जाना चाहिए। जिस इकाई में शैल्फ स्पेस प्राप्त किया गया है, वह उस क्षेत्र/ देश का एक मजबूत व्यापारी होना चाहिए और उसकी कम से कम 100 दुकानें होनी चाहिए। शैल्फ स्पेस के लिए सहायता विपणन

चक्र की एक निश्चित अवधि अथवा एक बार में अधिकतम 6 माह के लिए प्रदान किया जाएगा। किसी संस्था के लिए जहाँ शैल्फ स्पेस माँगा गया हो का आधार-रेखा विक्रय और अनुमानित लाभों का उल्लेख प्रस्ताव के साथ किया जाए। अधिकार प्रदत्त समिति नए प्रस्तावों को और पुन: सहायता माँगने के प्रस्तावों को शामिल करने पर निर्णय लेगी।

(ख) **उत्पाद पंजीकरण.—**इस उपघटक के अंतर्गत सहायता के लिए प्रस्ताव में प्रार्थित पंजीकरण के प्रकार एवं ऐसे पंजीकरण के औचित्य सहित किस देश में पंजीकरण कराया जाना के सम्बंध में उत्पाद का विवरण दिया जाना चाहिए। ट्रेड मार्क / आई पी आर / जी आई/ पेटेंट इत्यादि के पंजीकरण के लिए सहायता उपलब्ध होगी।

(ग) **विपणन प्रचार.—**इस उपघटक के अंतर्गत सहायता प्राथमिक रूप से निर्यातकों, स्वायत्त निकायों और आईबीईएफ के संयुक्त प्रयासों सहित प्रमुख लक्षित बाजारों में डिजिटल और परम्परागत मीडिया मंचों का प्रयोग करके स्थायी सम्प्रेषण प्रचार करने के लिए है। निर्यातकों को जैविक, मूल्यवर्धित, सजातीय, जी आई, क्षेत्र विशिष्ट ब्रांडिड उत्पादों के लिए सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। यह सहायता संघों और निर्यात संवर्धन एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले उत्पाद / क्षेत्र विशिष्ट प्रचारों के लिए जेनरिक विपणन प्रचार के लिए भी दी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रण/ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इत्यादि में सामग्री/ नमूनों/ उत्पाद साहित्य/ विज्ञापन, सोशल मीडिया संवर्धन इत्यादि पर आपूर्ति के लिए भी इस उपघटक के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(घ) **नियत देशों में रोड शो/ बीएसएम:-** अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उत्पादों की दृश्यता बढ़ाने और प्रोत्साहन देने हेतु सहायता दी जाएगी। किसी कार्यक्रम के आयोजन की लागत और प्रचार की लागत सहित स्थान की लागत, अनुवाद और दुभाषिया शुल्क, प्रदर्शनी के लिए माल भाडा शुल्क और अधिकार प्रदत्त समिति द्वारा अनुमोदित अन्य घटक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

(ड.) **नियत देशों में उत्पाद प्रतिदर्श के लिए सहायता:-** अंतिम रिटेल स्थान पर सम्भावित उपभोक्ता को उत्पाद का नमूना प्रदान करना एक प्रमाणित विपणन युक्ति है। जेनरिक उत्पादों के लिए भारतीय ब्रांडेड उत्पादों के निर्यातकों अथवा संस्थाओं/निर्यात संवर्धन एजेंसियों को सहायता प्रदान की जाएगी। आयोजन व्यय, प्रतिदर्श के लिए प्रयुक्त मानव संसाधन, प्रदर्शनी के लिए माल भाडा शुल्क यह सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

(च) ई-कॉमर्स मंच का विकास-एईपी उत्पादकों/संसाधकों, निर्यातकों/निर्यात बाजार एफपीओ इत्यादि के मध्य प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना सक्षम बनाने हेतु ई-कॉमर्स मंच का विकास परिकल्पित करता है। इस मंच के विकास एवं प्रचालन तथा इसके प्रचालात्मक व्ययों के लिए और ई-कॉमर्स मंच के प्रचालन हेतु किसानों के लिए क्षमता निर्माण/कार्यशालाएं, कार्य स्थल अधिकारियों, राज्य अधिकारियों, निर्यातकों इत्यादि को यह सहायता प्रदान की जाएगी।

5.6 अनुसंधान एवं विकास हेतु सहायता

(क) रॉयल्टी, फील्ड ट्रायल, बहुलीकरण केन्द्र, चिन्हित उत्पादों के लिए क्षमता निर्माण, बीमारी/ कीट रहित क्षेत्रों का निर्माण/ पहचान करना-अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता की आवश्यकताओं/रूचियों को पूरा करने के लिए ऐसे बाजारों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इस उपघटक के अंतर्गत ऐसी पहलों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र/ निर्यातकों को सहायता दी जाएगी। किस्मों के चयन आयात के नियमन और शर्तों रॉयल्टी के नियमन और शर्तों के लिए पूरी तरह से आवेदक का उत्तरदायित्व होगा। भारत में ऐसी रोपण सामग्री के आयात के लिए यथास्थिति आवेदक सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करेगा। आवेदक के लिए जर्मप्लास्म / बीजों की किस्में सुदृढ निर्यात पर केन्द्रित होनी चाहिए और इनमें आवेदक के लिए नए राजस्व प्रवाह के सृजन की सम्भावना होनी चाहिए। आगामी तीन वर्षों में उत्पाद के वास्तविक अनुमानित निर्यात का विवरण दिया जाना चाहिए। आवेदक द्वारा जर्मप्लास्म / किस्मों के आयात की आवश्यकता पर आई सी ए आर के मूल्यांकन प्राप्त करना आवश्यक होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के आवेदकों को भी सहायता प्रदान की जाएगी, ऐसे मामले में लोगों को कार्य की विषयवस्तु उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) गुवाहाटी में मसाले/चाय/खाद्य पदार्थों के लिए प्रयोगशाला- उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मसालों /चाय/ खाद्य उत्पादों के परीक्षणके लिए गुवाहाटी में एक प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी।

6. परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करना:

i. स्कीम के अंतर्गत सहायता के लिए आवेदक द्वारा एक प्रस्ताव निर्धारित आवेदन प्रारूप (अनुबंध 5) में आवश्यक सूचनाओं/दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

ii. परियोजना के तकनीकी, वाणिज्यिक, वित्तीय और प्रबंधन पहलुओं सहित अनुबंध 6 में उल्लिखित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) आवेदन के साथ उपलब्ध कराई जानी चाहिए ।

iii. परियोजना का प्रस्ताव एक विस्तृत सर्वेक्षण करने और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए और स्पष्ट रूप से वांछित उद्देश्य को दर्शाया जाना चाहिए।

iv परियोजना के प्रस्ताव में मापने योग्य परिणाम दर्शाए जाने चाहिए, यह परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए मुख्य मानदंडों में से एक होगा। परियोजना प्रस्ताव में परिकल्पित परिणामों और संकेतक जो परियोजना के प्रभाव को मापने के लिए उपयोग किए जाएंगे जैसे किसानों की आय में अपेक्षित वृद्धि के मापने योग्य परिणामों की व्याख्या की जानी चाहिए।

v. पूंजीगत व्यय के लिए सहायता हेतु आवेदन के साथ सिद्धांत या अंतिम अवधि ऋण की मंजूरी और भारतीय रिज़र्व बैंक (आर बी आई) के साथ पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) सहित बैंक/वित्तीय संस्थान से एक विस्तृत मूल्यांकन टिप्पणी होनी चाहिए । बैंक/एफआई से अंतिम अवधि के ऋण अनुमोदन पत्र को इसके जारी करने की तिथि से दो महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

vi आवेदक को कम्पनी सोसाइटी के उपनियमों,सहकारी, स्वयं सहायता समूह/पंजीकृत भागीदारी विलेख इत्यादि /परियोजना/संस्था/इकाई संवर्धकों के अनुभव/बायो-डेटा / पृष्ठभूमि के संबंध में आवेदक फर्म के निगमीकरण ज्ञापनों और संस्था के अंतर्नियमों निगमन/पंजीकरण का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

vii आवेदक द्वारा परियोजना/इकाई के निवल मूल्य के साक्ष्य के रूप में दस्तावेज और परियोजना/इकाई व संवर्धक / प्रस्तावित शेयरधारक; पिछले तीन वर्षों के लिए फर्म/कंपनी / सहकारी/भागीदारी/स्वयं सहायता समूह, आदि के खातों की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ।

viii आवेदक के नाम पर कम से कम 10 वर्षो के लिए भूमि के शीर्षक अथवा भूमि के पट्टे के साक्ष्य के रूप में विधिवत रूप से सक्षम प्राधिकारी से पंजीकृत दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना चाहिए, स्कीम के अंतर्गत सहायता के लिए परियोजना के लिए चेंज ऑफ लैंड यूज (सीएलयू) के साथ उपयुक्त भूमि के स्वामित्व और कब्जे वाले प्रस्तावों पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी।

ix परियोजना प्रस्ताव में किसान की आय बढ़ाने, उत्पाद के निर्यात में वृद्धि, उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि आदि के तरीके प्रस्तुत करने होंगे।

7. जांच और अनुमोदन की प्रक्रिया

i. क्लस्टर विकास के तहत सहायता के लिए आवेदन क्लस्टर के सीईओ और राज्य नोडल एजेंसी दोनों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

ii. क्लस्टर विकास के तहत सहायता के लिए आवेदन का मूल्यांकन क्लस्टर के सीईओ और राज्य नोडल एजेंसी दोनों के द्वारा अलग अलग किया जाएगा और इसे निर्यात संवर्धन एजेंसी को अग्रेषित किया जाएगा ।

iii. अधिदेश प्राप्त उत्पादों के आवेदनों को निर्यात संवर्धन एजेंसी (प्राधिकरण/बोर्ड/ईपीसी) द्वारा मूल्यांकन एवं संस्तुति की जाएगी ।

iv. क्लस्टर के सीईओ, राज्य नोडल एजेंसी और निर्यात संवर्धन एजेंसी (प्राधिकरण / बोर्ड /ईपीसी) को अपनी और से आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 45 दिनों की समयावधि प्रदान की जाएगी। यदि निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर

किसी भी इकाई से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होती, तो यह मान लिया जाएगा कि सहायता के लिए आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है और आवेदन तदनुसार अग्रेषित कर दिए जाएंगे ।

v. परियोजना का मूल्यांकन करते समय, विशिष्ट निर्यात बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से अपेक्षित लाभ सहित औचित्य का मूल्यांकन सभी संबंधित संस्थाओं द्वारा किया जाएगा।

vi यह प्रस्ताव विस्तृत टिप्पणियों और सिफारिशों के साथ परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) को भेजा जाएगा।

vii. प्रस्ताव के मूल्यांकन के बाद परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) द्वारा 30 दिनों के भीतर तकनीकी और वित्तीय रूप से मूल्यांकन किया जाता है और अधिकार प्रदत्त समिति को विचारार्थ भेज दिया जाता है।

viii. इस स्कीम के लिए विशेष रूप से गठित एक अधिकार प्रदत्त समिति द्वारा सहायता के लिए आवेदकों के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। परियोजना /स्कीम के अनुमोदन के लिए पीएमयू रिपोर्ट डीएसी एवं परिवार कल्याण, डीएएचडी, डी ओ एफ, डीएआरई/ आईसीएआर, डी ओ सी ए,डी एफ पी डी, एम ओ एफ पी आई, एफएसएसएआई डीजीएफटी, सीमा शुल्क के सचिवों की भागीदारी और संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ वाणिज्य सचिव अध्यक्षता वाली अधिकार प्रदत्त समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। प्रस्ताव पर निर्णय लेने वाले अंतिम प्राधिकारी अधिकार प्रदत्त समिति होगी।

ix. अधिकार प्रदत्त समिति योजना के कुछ घटकों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को उप-समिति को सौंप सकती है।

x. प्रस्ताव को प्रत्येक क्लस्टर / उत्पाद / बाजार की अनूठी जरूरतों के अनुसार सहायता के लिए आगे भेजा जा सकता है ।

xi. विभाग में एईपी के कार्यान्वयन के लिए निगरानी इकाई द्वारा सिद्धांत रूप में अनुमोदन (आईपीए) आवेदन प्राप्ति की तिथि से छह महीने के भीतर जारी किया जाएगा। आईपीए जारी करने के बाद, आवेदक के अनुरोध पर, परन्तु आईपीए की वैधता के भीतर इसमें संशोधन पर विचार किया जा सकता है।

xii. जारी किया गया आईपीए आमतौर पर बुनियादी ढांचे / विपणन / उत्पाद विकास के संबंध में 12 महीने के लिए और क्षमता निर्माण के संबंध में छह महीने के लिए या आईपीए में उल्लिखित अनुसार मान्य होगा। आईपीए में वृद्धि करने के अनुरोध को मूल आईपीए की समाप्ति से पहले योग्यता के आधार पर केवल विशेष परिस्थितियाँ में स्वीकार किया जाएगा ।

xiii. वाणिज्य विभाग के पास किसी बाहरी एजेंसी से परियोजनाओं का मूल्यांकन करवाने का अधिकार सुरक्षित है। यदि परियोजना व्यवहार्य नहीं पाई जाती है, तो आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

xiv. आईपीए का अनुदान केवल पात्र वस्तुओं और गतिविधियों पर आधारित होगा और अनुचित वस्तुओं या गतिविधि पर किए गए व्यय पर विचार नहीं किया जाएगा।

(xv) दावे की स्वीकार्यता से संबंधित अधिकार प्रदत्त समिति का निर्णय अंतिम होगा और केवल सहायता के लिए मात्र आवेदन करने से वित्तीय सहायता के दावे का अधिकार नहीं मिलता है।

(xvi) जहाँ तक इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों में किसी का संबंध है अधिकार प्रदत्त समिति का निर्णय अंतिम होगा।

(xvii) क्लस्टर विकास के तहत आवेदन की संवीक्षा एवं अनुमोदन की आधारभूत प्रक्रिया अनुबंध 2 क पर दी गई है।

(xviii) उत्पाद-वार निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी)/ वस्तु बोर्ड/ निर्यात विकास प्राधिकरण परिशिष्ट ग में डीजीएफटी वेबसाईट पर उपलब्ध है।

8. निगरानी

(i) प्रयासों/स्कीमों का सम्मिलन, इस स्कीम के तहत सहायता के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन और एईपी के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उपाय सुझाने के लिए त्रैमासिक आधार पर अधिकार प्रदत्त समिति बैठक करेगी।

(ii) पीएमयू स्कीम के तहत परियोजनाओं की प्रगति की आवधिक समीक्षा करेगी। पीएमयू एक उपयुक्त परियोजना निगरानी प्रणाली तैयार करेगी और विभाग में एईपी के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित परियोजनाओं की प्रगति पर मासिक रिपोर्ट/रिटर्न निगरानी इकाई को प्रस्तुत करेगी।

(iii) स्कीम के तहत दी गई वित्तीय सहायता भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा के अधीन है।

(iv) स्कीम शुरू होने के 3 वर्षों की अवधि के बाद वाणिज्य विभाग द्वारा नियुक्त स्वतंत्र एजेंसी द्वारा इसकी क्षमता का मूल्यांकन भी किया जाएगा।

(v) भारत सरकार स्कीम के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का फिजीकल सत्यापन और अन्य कोई जांच जो आवश्यक समझी जाए करेगी।

9. समय अनुसूची

(i) परियोजना के पूरा होने एवं प्रचालन के लिए समय-अनुसूची प्रस्ताव की प्रकृति के आधार पर अधिकार प्रदत्त समिति द्वारा दिए गए सैद्धांतिक अनुमोदन में विनिर्दिष्ट होगी।

(ii) आवेदक परियोजना के लिए अनुमोदन मांगते समय दी गई निर्धारित समय सीमा के अनुसार परियोजना को पूरा करने के लिए सभी संभव प्रयास करेगा। निर्धारित समयसीमा का अनुपालन न करने के मामले में केवल अपरिहार्य कारणों अथवा अवेदक के नियंत्रण से बाहर के कारणों को छोडकर अधिकार प्रदत्त समिति मामला दर मामला आधार पर अनुदान राशि को कम करने के संदर्भ में उपयुक्त दंड अधिरोपित करने पर विचार करेगी।

(iii) समय सीमा के गैर अनुपालन के मामले में निर्धारित समय सीमा के बाद प्रत्येक महीने के विलंब पर उस किश्त की राशि के लिए बकाया किश्त राशि की मात्राका 1% दण्ड अधिरोपित की जाएगी तथापि दण्ड की अधिकतम राशि आवेदक को जारी की जाने वाली किश्त के 10% से अधिक नहीं होगी।

(iv) आवेदक के परियोजना के कार्यान्वयन से पीछे हटने और किसी कारण से आवेदक द्वारा परियोजना पूरी न करने की स्थिति में आवेदक द्वारा विभाग की ऐसी अनुदान के रिफंड के लिए आदेश जारी होने के 30 दिनों के भीतर प्राप्त ब्याज (जीएफआर के अनुसार) जारी सहायता अनुदान के साथ वापस करेगा।

10. सामान्य शर्तें एवं अपेक्षाएं

(i) आवेदन के साथ विधिवत रूप से प्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए।

क. नए उपकरणों की खरीद के लिए, कोटेशन/प्रोफार्मा चालान/बिल को न्यूनतम तीन मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) या उनके अधिकृत वितरक/उपकरण के डीलर से प्राप्त किए जाने चाहिए।

ख. सामान्य तौर पर, कोटेशन न्यूनतम 3 आपूर्तिकर्ताओं से मांगे जाएंगे। आवेदक तीन बोलीकर्ताओं में से किसी को भी पर कार्य आर्डर देने के लिए स्वतंत्र है, तथापि, सहायता की गणना न्यूनतम उद्धृत दर पर की जाएगी।

ग. व्यवहार्यता अध्ययन के मामले में संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव रखने वाली प्रतिष्ठित परामर्श फर्मों से उद्धरण मांगा जाना चाहिए।

घ. बिल की मात्रा, दर/यूनिट और चार्टर्ड इंजीनियर या सिविल आर्किटेक्ट द्वारा प्रमाणित कुल राशि को दर्शाते हुए सिविल कार्य के लिए लागत का अनुमान प्रस्तुत किया जाएगा। भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार के लोक कार्य विभाग द्वारा अधिसूचित लागत और दर उसके मानक अनुसूची (केवल मूल वस्तुओं के लिए) तक होनी चाहिए।

ii. कोटेशन में पता, जीएसटीएन, टिन और पैन, विस्तृत विवरण के साथ उत्पाद विवरण, वैधता तिथि और मद/इकाई वार लागत और कुल राशि स्पष्ट रूप से दर्शानी चाहिए। उपयोगिता के स्पष्ट बुनियादी ढांचे/प्रयोगशाला उपकरणों/किसी भी अन्य परिसंपत्तियों आदि उल्लेख के साथ उपकरण विवरण का चित्रण करते हुए तकनीकी विवरणिका/साहित्य/पैम्फलेट।

iii. जहां भी सिविल कार्य शामिल है, सहायता केवल परियोजना के लिए आवश्यक तकनीकी सिविल कार्य तक ही सीमित रहेगी (गैर-तकनीकी सिविल कार्य की सूची अनुबंध 7 में दी गई है)।

iv. परियोजना के सिविल कार्य घटक के लिए वित्तीय सहायता उस आवेदन के लिए कुल पात्र वित्तीय सहायता की अधिकतम 25% तक सीमित होगी।

v. अगले तीन वर्षों के लिए केवल वास्तविक अनुमानित निर्यात की मात्रा (एमटी) और मूल्य (लाख रुपये) में वर्षवार उल्लेख किया जाना चाहिए, जिसकी भविष्य में सहायता पर विचार करने के लिए पीएमयू के माध्यम से सत्यापित और समीक्षा की जा सकती है।

vi. यदि आवेदक ने पूर्व में किसी भी एजेंसी से सहायता प्राप्त की है तो और सहायता प्राप्त करने के बाद 2 वर्षों तक लगातार निर्यात नहीं किए जाने जैसे वांछित परिणामों को पूरा नहीं किया है तो सहायता के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा

vii. आवेदक को एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने उस मद / कार्य / इकाई / कार्यक्रम / परियोजना, जिसके लिए सहायता मांगी गई है, के लिए पूर्व में किसी अन्य एजेंसी से कोई सहायता नहीं ली है।

viii. योजना के तहत आने वाले आवेदनों पर निर्यात निष्पादन / केवल अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करने के आधार पर विचार किया जाएगा।

ix. आवेदक के स्वामित्व / प्रबंधन में किसी भी परिवर्तन को पीएमयू को सूचित किया जाना है।

x. पांच वर्षों तक प्रति वर्ष कम से कम 10% निर्यात वृद्धि लाभार्थी द्वारा सहायता प्राप्त करने के बाद सुनिश्चित की जाएगी। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बाद अगले पांच वर्षों के लिए मासिक निर्यात रिटर्न अनिवार्य शर्त के रूप में पीएमयू को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, चाहे निर्यात शून्य हो।

xi. हितधारकों और बैंक वित्तपोषण के महत्वपूर्ण योगदान वाले बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

xii. आवेदक का संयुक्त निवल मूल्य मांगी गई राशि के दो गुना से कम नहीं होना चाहिए।

xiii. आवेदक को कुल परियोजना लागत का कम से कम 20% इक्विटी / योगदान और बैंक/वित्तीय संस्थान से परियोजना लागत की 20% से कम राशि के लिए सावधि ऋण के रूप में लाने की आवश्यकता है।

xiv. मौजूदा हितधारकों जो पहले से ही कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं/कृषि उत्पादों के निर्यात से जुड़े हैं, जिनके लिए वित्तीय सहायता मांगी जाती है को प्राथमिकता दी जाएगी।

xv. आवेदक को राज्य सरकार/स्थानीय निकायों/एफएसएसएआई और किसी भी अन्य नियामक प्राधिकरणों में पंजीकरण /लाइसेंस संबंधी सभी आवश्यकताओं का पालन करना होगा। आवेदक को इन सभी विवरणों का उल्लेख करते हुए आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

xvi. सहायता का स्तर प्रत्येक प्रस्ताव के लिए उप-घटक हेतु अधिकतम सहायता तक सीमित होगा।

xvii. योजना के तहत आवेदक के योगदान की सीमा की गणना के उद्देश्य से भूमि की लागत को परियोजना लागत में शामिल नहीं किया जाएगा।

xviii. योजना के किसी भी प्रावधान का लाभ उठाने वाला कोई भी संगठन / निर्यातक / व्यापारी / कंपनी को भारत की विदेश व्यापार नीति या निर्यात और आयात कारोबार से संबंधित किसी अन्य कानून के तहत सूचीबद्ध / आरोपित / अभियोजित / विचाराधीन / ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए।

11. निधियां जारी करने संबंधी दिशा-निर्देश:

i. पीएमयू द्वारा जारी किए गए आईपीए पत्र और उसके बाद के भौतिक सत्यापन के नियमों और शर्तों के अनुसार आवेदक द्वारा दावा पूरा होने और जमा करने पर, पात्र सहायता की प्रतिपूर्ति समाप्त हो जाएगी। राज्य सरकारों को समिति की स्वीकृति के साथ अग्रिम सहायता प्रदान की जा सकती है।

ii. यह आवेदक की जिम्मेदारी है कि वह आईपीए पत्र की मूल या विस्तारित वैधता, यदि कोई हो, समाप्ति से पहले सभी तरह से अंतिम दावा दस्तावेज प्रस्तुत करे।

iii. सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद आवेदक को स्वीकृत परियोजनाओं के लिए निधियाँ जारी की जाएगी।

iv. स्टैगर्ड सहायता: यदि सहायता का संतरण किया जाना है, तो उसी के लिए औचित्य प्रदान किया जाना चाहिए। प्रत्येक संवितरण आवेदक को पिछली किश्त के वित्तीय समापन और पीएमयू के अवलोकन के अधीन किया जाएगा। पहली किस्त को अधिकार प्रदत्त समिति द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के अनुसार जारी किया जाएगा। आगे की किश्तें पीएमयू की टिप्पणियों जारी की जाएंगी और फिर उच्चाधिकार प्रदत्त समिति की मंजूरी के बाद जारी की जाएगी। इस योजना के अनुसार शामिल पीएमयू द्वारा वास्तविक और वित्तीय प्रगति का प्रमाणन, आगे की किश्त जारी करने के लिए, एक पूर्व आवश्यकता होगी।

v. आवेदक निर्धारित प्रारूप में निधियों के उपयोग के संबंध में निष्पादित होने के लिए एक बांड प्रस्तुत करेगा।

vi. आवेदक वितरित की जाने वाली निधियों के लिए एक पूर्व-रसीद बिल, साथ ही एक प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप में) कि यह भ्रष्ट आचरण में लिप्त नहीं है, प्रस्तुत करेगा।

vii. सार्वजनिक क्षेत्र के आवेदकों के मामले में आगे की किश्त जारी करना पूर्ण उपयोग प्रमाणपत्र, पीएमयू की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अधीन होगा।

viii. किसी भी विसंगति / स्पष्टीकरण के मामले में, आवेदक से आवश्यक दस्तावेज मांगे जाएंगे।

ix. सभी प्रकार से पूर्ण अंतिम दावा दस्तावेजों को मंजूरी के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

x. लाभार्थी को सहायता राशि आवेदन में प्रस्तुत विवरण के अनुसार सीधे उनके खाते में एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से ऑनलाइन जारी की जाएगी ।

xi. वे आवेदक जो मौजूदा निर्यातक नहीं हैं या जिनका आवेदन बैंक से जुड़ा नहीं है, उन्हें सहायता का संवितरण के समय पात्र वित्तीय सहायता की 25% की दर से बैंक गारंटी जमा करना होगा। योजना के नियमों और शर्तों में परिकल्पित, के अनुसार निर्यात करने के बाद बैंक गारंटी जारी की जाएगी।

xii. योजना के लिए वास्तविक बजटीय आवंटन अलग-अलग हो सकता है। सहायता का संवितरण वास्तविक बजट आवंटन के अधीन है।

xiii. धन की उपलब्धता के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

xiv. योजना की निरंतरता के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम की समयावधि के बाद वित्तीय सहायता के लिए आवेदन को आगे ले जाने में आवेदक द्वारा कोई दावा नहीं किया जाएगा।

xv. सरकार वित्तीय सहायता के लिए किसी भी आवेदन के प्रति किसी भी प्रकार का प्रतिबद्ध दायित्व नहीं निभाएगी।

12. परिसंपत्तियाँ

i. आवेदक द्वारा बनाई गई परिसंपत्तियाँ परियोजना के पूरा होने के बाद आवेदक के स्वामित्व में होगी।

ii. सरकारी सहायता से आवेदक द्वारा अधिग्रहित / अर्जित की गई परिसंपत्तियाँ को उन प्रयोजनों जिसके लिए निधियों को जारी किया गया है के अलावा अन्य प्रयोजनों के निपटाने, अधूरा कार्य पूरा करने या किसी अन्य कार्य में उपयोग नहीं किया जाएगा ।

iii. भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली निधियों में से आंशिक या अर्ध-स्थायी संपत्ति को फार्म जीएफआर19 में दर्ज किया जाना चाहिए।

iv. किसी भी समय परियोजना को रद्द करने के मामले में, सभी परिसंपत्तियां और कोई भी अप्रयुक्त अनुदान भारत सरकार के साथ निहित होगा।

13. केंद्रीय अनुदान को वापस करना

परियोजना की परिकल्पित गुणवत्ता के साथ समझौता या आंशिक/अपूर्ण कार्यान्वयन के साथ समझौता सहित अनुदान के असंतोषजनक उपयोग के मामले में अधिकार प्रदत्त समिति लागू दंड ब्याज के साथ केंद्रीय अनुदान को कम करने / वापस लेने का अधिकार बनाए रखती है।

14. विवाद निवारण तंत्र (डीआरएम)

योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की समीक्षा करने और विवादों को हल करने के लिए निम्नलिखित संरचना के साथ वाणिज्य विभाग में एक स्थायी तंत्र सक्रिय किया जाएगा:

क. संयुक्त सचिव (ईपी-एग्री), वाणिज्य विभाग	- अध्यक्ष
ख. निदेशक (ईपी-एग्री), वाणिज्य विभाग	- सदस्य सचिव
ग. निदेशक (ईपी-एमपी) / निदेशक (वृक्षारोपण) (केवल समुद्री उत्पादों और वृक्षारोपण उत्पाद क्लस्टर के लिए क्रमशः)	- सदस्य
घ. निदेशक, डीएसी और एफडब्ल्यू	- सदस्य
ड. निदेशक, डीएएचडी / निदेशक, डीओएफ (क्लस्टर के आधार पर)	- सदस्य
च. निदेशक, एमओएफपीआई	- सदस्य
छ. राज्य नोडल एजेंसी के प्रतिनिधि जहां परियोजना कार्यान्वित की जाती है	– सदस्य

यह डीआरएम परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का समाधान करने का मंच होगा। यदि यह समिति विवाद को समाधान करने में असमर्थ है, तो इसे अधिकार प्रदत्त समिति को भेजा जाएगा। किसी भी मामले में अधिकार प्रदत्त समिति का निर्णय अंतिम होगा।

अस्वीकरण: योजना के दिशानिर्देश भारत सरकार के नीति निर्देशों के अनुसार समय-समय पर संशोधन के अधीन हैं।

अनुबंध- 1

क्लस्टरों की सूची

उत्पाद	क्षेत्र	राज्य	जिला
केला	दक्षिण	केरल	त्रिशूर , वायनाड , तिरुवनंतपुरम
		आंध्र प्रदेश	कडप्पा , अनंतपुर
		तमिलनाडु	त्रिची , थेनी , पोलाची
	पश्चिम	महाराष्ट्र	जलगाँव , कोल्हापुर, सोलापुर
		गुजरात	भरूच, नर्मदा, सूरत
अनार	दक्षिण	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर , कुरनूल
		कर्नाटक	बेलगाम, मैसूर
	पश्चिम	महाराष्ट्र	सोलापुर, अहमदनगर, पुणे
	केंद्रीय	मध्य प्रदेश	खरगोन , खंडवा , बुरहानपुर
आम	पश्चिम	महाराष्ट्र	रत्नागिरी , सिंधुदुर्ग
		गुजरात	जूनागढ़ , वलसाड , कच्छ, नवसारी
	उत्तर	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ
	दक्षिण	तेलंगाना	रंगारेड्डी , महबूबनगर , वारंगल
		आंध्र प्रदेश	कृष्णा, चित्तूर, कुरनूल
अंगूर	पश्चिम	महाराष्ट्र	पुणे , नासिक, सांगली
रोज अनियन	दक्षिण	कर्नाटक	बैंगलोर ग्रामीण, चिक्काबल्लपुरा
प्याज	पश्चिम	महाराष्ट्र	नासिक
	केंद्रीय	मध्य प्रदेश	इंदौर, सागर , दमोह
आलू	उत्तर	उत्तर प्रदेश	आगरा, फरुखाबाद
		पंजाब	जालंधर , होशियारपुर , कपूरथला , नवाशेहर
	पश्चिम	गुजरात	बनासकांठा , साबरकांठा
	केंद्रीय	मध्य प्रदेश	इंदौर, ग्वालियर
चाय	पूर्व	असम	तिनसुकिया , सिबसागर , डिब्रूगढ़
कॉफ़ी	दक्षिण	कर्नाटक	चिक्कमगलुरु , कोडागु , हासन
समुद्री उत्पाद	दक्षिण	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी, विशाखापत्तनम , पश्चिम गोदावरी, नेल्लोर
	पूर्व	ओडिशा	जगतसिंहपुर , भद्रक , बालासोर
	पश्चिम	गुजरात	कच्छ, वेरावल , नवसारी , वलसाड
मिर्च	दक्षिण	तेलंगाना	खम्मम, वारंगल

		आंध्र प्रदेश	गुंटूर
हल्दी	दक्षिण	तेलंगाना	निजामाबाद, करीमनगर
		केरल	वायनाड , एलेप्पी
	पूर्व	मेघालय	वेस्ट जैंतिया हिल्स
	पूर्व	ओडिशा	कंधमाल
जीरा	पश्चिम	गुजरात	बनासकांठा , मेहसाणा
	उत्तर	राजस्थान	जालोर , जोधपुर, बाड़मेर , नागौर , पाली
मिर्च	दक्षिण	केरल	वायनाड
	दक्षिण	कर्नाटक	चिकमंगलूर
इलायची	दक्षिण	केरल	इडुक्की
इसाबगोल	उत्तर	राजस्थान	जोधपुर, नागौर , बाड़मेर , जैसलमेर
अरंडी	पश्चिम	गुजरात	बनासकांठा , कच्छ, पाटन , साबरकांठा , मेहसाणा
संतरा	पश्चिम	महाराष्ट्र	नागपुर, अमरावती, वर्धा
	केंद्रीय	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा , आगर मालवा , शाजापुर
दुग्ध उत्पाद	उत्तर	उत्तर प्रदेश	मथुरा
	पश्चिम	गुजरात	बनासकाठा
ताज़ी सब्जियां (ओखरा और हरी मिर्च)	उत्तर	उत्तर प्रदेश	वाराणसी
मुर्गी पालन उत्पाद और अंडे	दक्षिण	तमिलनाडु	नमक्कल , सलेम, इरोड

अनुबंध- 2

स्कीम के विभिन्न उप घटकों के तहत सहायता का विवरण-

क्र.सं.	मद	सहायता	सहायता का तरीका
1	**राज्य अभिकरणों के लिए सहायता**		
क)	20 राज्यों में एक-एक सलाहकार की नियुक्ति	25 लाख रुपये /सलाहकार/ वर्ष	(i) एक राज्य नोडल एजेंसी में अधिकतम 2 सलाहकार (ii) सलाहकारों के वेतन की सहायता को भावी संवितरण के लिए राज्य नोडल एजेंसी को सौंप दिया जाएगा।
ख)	लॉजिस्टिक्स एवं अवस्थापना	10 लाख	लॉजिस्टिक्स एवं अवस्थापना व्यय से संबंधित 10 लाख रुपये की सहायता राज्य नोडल अभिकरणों को संवितरित कर दी जाएगी।

ग)	अधिकारियों का क्षमता निर्माण	100% (प्रति राज्य 20 लाख तक)	निर्यात संवर्धन, निर्यात प्रोत्साहित करने वाले निकायों एवं निर्यात परिषद के क्रियाकलाप में प्रत्येक राज्य से लगभग 10 अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए।
2	**संस्थागत तंत्र के लिए सहायता**		
क)	मॉनिटरिंग सेल के लिए प्रशिक्षुओं को 10 शामिल करना	6 लाख रुपये/ प्रशिक्षु / वर्ष	स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा लगभग 10 प्रशिक्षुओं को शामिल किया जाएगा।
ख)	परियोजना मॉनिटरिंग इकाई शामिल करना	100% (2 करोड़ तक)	परियोजना मॉनिटरिंग इकाई (पीएमयू) को इस स्कीम के तहत परियोजना के मूल्यांकन के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा केंद्रीय स्तर पर शामिल किया जाएगा।
ग)	अवस्थापना व्यय	70 लाख	एईपी के लिए मॉनिटरिंग सेल की अवस्थापना व्यय के लिए।
घ)	क्लस्टरों के लिए सीईओ की नियुक्ति	25 लाख रुपये/सीईओ/ वर्ष	सीईओ के वेतन के लिए सहायता को भावी संवितरण के लिए राज्य नोडल अभिकरणों को सौंप दिया जाएगा।
ड.)	क्लस्टरों के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति (2 प्रति क्लस्टर)	6 लाख रुपये / वर्ष /कर्मचारी	(i) प्रति क्लस्टर अधिकतम दो कर्मचारी। (ii) कर्मचारियों के वेतन के लिए सहायता को भावी संवितरण के लिए राज्य नोडल अभिकरणों को सौंप दिया जाएगा।
च)	क्लस्टर कार्यालय, एफपीओ आदि की स्थापना के लिए प्रारंभिक अनुदान	1 करोड़ रुपये/ क्लस्टर	क्लस्टर कार्यालय स्थापना, एफपीओ निर्माण आदि की स्थापना व्यय के लिए।

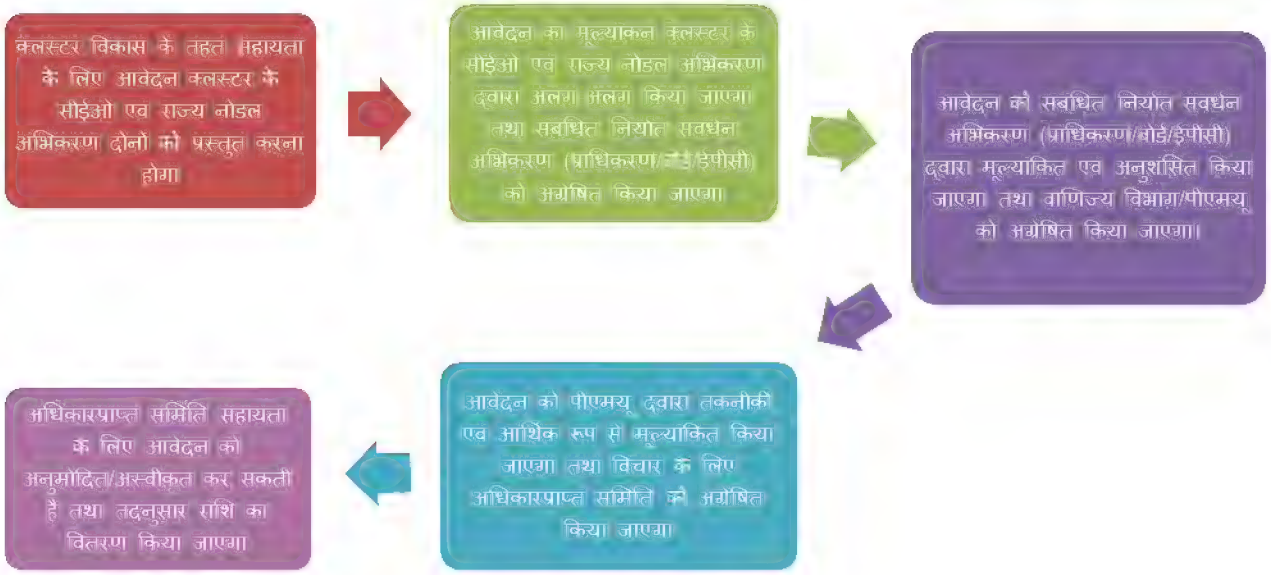
क्र.सं.	**मद**	**सहायता**	**सहायता का तरीका**
3	**क्लस्टरों के लिए सहायता**		
क)	क्लस्टरों में फसलोत्तर अवसंरचना	50 लाख रुपये/परियोजना	(i) प्रत्येक परियोजना को कुल लागत के 35 प्रतिशत तक की सहायता प्रदान की जाएगी जो 50 लाख रुपये तक सीमित होगी (ii) प्रत्येक क्लस्टर में लगभग 20 परियोजनाओं को सहायता दी जाएगी। (iii) स्कीम की विशिष्ट आवश्यकताओं एवं शर्तों को अनुबंध-3 में उल्लिखित किया गया है।
ख)	क्षमता निर्माण	100% (प्रति क्लस्टर 20 लाख तक)	उत्पादन/प्रसंस्करण/निर्यात क्रियाकलापों में किसानों, एफपीओ, उद्यमियों, निर्यातकों, अधिकारियों और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण में कार्यबल की क्षमता निर्माण के लिए सहायता।

ग)	पीपीपी-आईएडी को अनुदान	5 करोड़ रुपये/ परियोजना	(i) यह सहायता परियोजना चक्र के माध्यम से प्रति किसान 50,000/-रुपये की अधिकतम सीमा के तहत प्रस्तावित प्रति किसान समग्र निवेश के 50 प्रतिशत तक प्रतिबंधित होगी। इसकी अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपये/ परियोजना होगी जो परियोजना की कुल लागत से 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। (ii) आवेदक द्वारा संस्थागत वित्तपोषण और अपने स्वयं के और किसान के योगदान के माध्यम से शेष निवेश की व्यवस्था की जानी चाहिए। (iii) यह परियोजना, परियोजना कार्यकाल में कम से कम 5000 कृषकों को लक्ष्य बनाएगी। (iv) प्रत्येक क्लस्टर के लिए अधिकतम दो परियोजनाओं को सहायता दी जाएगी। (v) किसानों की परिसंपत्ति वितरण के सत्यापन के बाद सभी सहायता किसानों को दी जाएगी या आवेदक की प्रतिपूर्ति की जाएगी। (vi) स्कीम की विशिष्ट आवश्यकताओं और शर्तों का उल्लेख अनुबंध-4 में किया गया है।
घ)	प्रयोगशालाएं	25 लाख रुपये/ प्रयोगशाला	(i) प्रति प्रयोगशाला 25 लाख रुपये की सीमा के अधीन कुल लागत के 35 प्रतिशत तक सहायता। (ii) प्रति क्लस्टर एक प्रयोगशाला को सहायता दी जाएगी।
ड.)	नवीन तकनीक/उपकरण की शुरूआत	5 करोड़ रुपये/ क्लस्टर	(i) कुल लागत का 35 प्रतिशत तक सहायता। (ii) सहायता के लिए प्रदान की गई वस्तुओं के लिए कोई विशिष्ट सीमा नहीं है।
च)	जीएपी कार्यान्वयन	10000 / -रुपये/ हेक्टेयर	अधिकतम 4 हेक्टेयर प्रति किसान के अधीन कुल लागत के 35 प्रतिशत तक की सहायता।
4	**उत्पाद विकास के लिए सहायता**		
क)	नए उत्पाद विकास	25 लाख रुपये/ परियोजना	प्रत्येक परियोजना को 25 लाख रुपये की सीमा के अधीन कुल लागत के 35 प्रतिशत की सहायता प्रदान की जाएगी।
ख)	पैकेजिंग विकसित करना/ सामग्री के भंडार और उपयोग होने तक की अवधि को बढ़ाना।	10 लाख रुपये/ परियोजना	प्रत्येक परियोजना को 10 लाख रुपये की सीमा के अधीन कुल लागत के 35 प्रतिशत की सहायता प्रदान की जाएगी।

ग)	उत्पादन क्षमता को बेहतर बनाने/उत्पादन लागत को कम करने पर शोध	10 लाख रुपये / परियोजना	प्रत्येक परियोजना को 10 लाख रुपये की सीमा के अधीन कुल लागत के 35 प्रतिशत की सहायता प्रदान की जाएगी।
5	**विपणन के लिए सहायता**		
क)	शेल्फ स्पेस सहायता	10 लाख रुपये/ प्रस्ताव	प्रत्येक परियोजना को 25 लाख रुपये की सीमा के अधीन कुल लागत के 35 प्रतिशत की सहायता प्रदान की जाएगी।
ख)	उत्पाद पंजीकरण	1 लाख रुपये/ प्रस्ताव	प्रत्येक परियोजना के 1 लाख रुपये की सीमा के अधीन कुल लागत के 35 प्रतिशत की सहायता प्रदान की जाएगी।
ग)	विपणन अभियान	1 करोड़ रुपये/ प्रस्ताव	प्रत्येक परियोजना को 1 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन कुल लागत के 35 प्रतिशत की सहायता प्रदान की जाएगी।
घ)	गंतव्य देशों में रोड शो/ बीएसएम	25 लाख रुपये/ प्रस्ताव	प्रत्येक परियोजना को 25 लाख रुपये की सीमा के अधीन कुल लागत के 35 प्रतिशत की सहायता प्रदान की जाएगी।
ड.)	गंतव्य देशों में उत्पाद के नमूने के लिए सहायता	25 लाख रुपये/ प्रस्ताव	प्रत्येक परियोजना को 25 लाख रुपये की सीमा के अधीन कुल लागत के 35 प्रतिशत की सहायता प्रदान की जाएगी।
च)	ई-वाणिज्य मंच का विकास	100%	ई-वाणिज्य मंच का विकास एवं प्रचालन के लिए एपीडा के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी।
6	**आर एवं डी के लिए सहायता**		
क)	अधिसूचित उत्पाद के लिए रॉयल्टी, फील्ड परीक्षण, गुणन केंद्र, क्षमता निर्माण	10 करोड़ रुपये/ प्रस्ताव	प्रत्येक प्रस्ताव को 10 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन कुल लागत के 35 प्रतिशत की सहायता प्रदान की जाएगी।
ख)	गुवाहाटी में मसाला/चाय/खाद्य उत्पादों के लिए प्रयोगशाला	15 करोड़ रुपये	मसाला बोर्ड के माध्यम से प्रयोगशाला निर्माण एवं प्रचालन के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

अनुबंध-2क

क्लस्टर विकास के तहत समीक्षा एवं अनुमोदन



अनुबंध-3

आवेदक की विशिष्ट आवश्यकताएं और शर्तें – क्लस्टरों में फसलोत्तर अवसंरचना

आवेदक को क्लस्टर्स में फसलोत्तर अवसंरचना के तहत उप-घटक से संबंधी निम्नलिखित विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करना होगा :

अ. शीत श्रृंखला/पैक हाऊस :

क. पैक हाऊस/शीतागार/पूर्व-शीतलन के प्रस्ताव कम से कम http://nccd.gov.in पर उपलब्ध अनुसार शीत श्रृंखला तकनीक राष्ट्रीय शीत श्रृंखला विकास परिषद (एनसीसीडी) पर आधारित होना चाहिए।

ख. समय-समय पर कमोडिटी बोर्ड/ईपीसी के निर्देशानुसार आयात करने वाले देशों की आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाना चाहिए।

ग. आवेदक परियोजना के पूरा होने के 6 माह के अंदर संबंधित प्राधिकारियों के साथ इस सुविधा का पंजीकरण करने के लिए उत्तरदायी होगा।

II. प्रसंस्करण सुविधाएं:

क. इकाई में निर्यात उद्देश्यों के लिए मूल्यवर्धित खाद्य प्रसंस्करण क्रम होना चाहिए।

ख. इकाई को एचएसीसीपी/आईएसओ 22000 प्रमाणित होना चाहिए।

अनुबंध-4

<u>विशिष्ट आवश्यकताएं एवं शर्तें – पीपीपी – आईएडी ग्राण्ट</u>

1. परियोजना के दौरान प्रति किसान औसत निवेश निर्धारित किया जाना चाहिए, हालांकि प्रति किसान 1 लाख रुपये औसतन एक वांछनीय उपलब्धि होगी।

2. परियोजनाओं को मंजूरी मिलने के बाद, परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश पीएमयू द्वारा तैयार किए जाएंगे।

3. उपजकर्ता किसान सदस्यों की ओर से एफपीओ पीपीपी-आईएडी में भाग ले सकते हैं। उत्पादन के क्रियाकलापों के अलावा वे स्वयं या किसी अन्य लक्ष्य उपयोक्ता कंपनी के साथ परियोजना के अंतिम उत्पाद की खरीद कर सकते है।

4. पीपीपी भागीदारों को परियोजना में अंतिम उत्पाद (कृषि उपज) की खरीद करने के लिए मूल्य श्रृंखला (आद्योपांत समाधान) को पूरा करना चाहिए।

5. आवेदक क्लस्टर में उन क्षेत्रों को अभिज्ञात करेंगे जिन्हें वे करना चाहते हैं और वे एकीकृत कृषि विकास के लिए परियोजना विकसित करेंगे। तैयार की गई कार्यनीति एवं कार्ययोजना में भूगोल एवं जलवायु; कृषि विकास की संभाव्यता, भूमि की उपलब्धता, एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण और विकास के लिए कार्ययोजना तथा अधिसूचित क्षेत्रों में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित कार्ययोजना की जानकारी होनी चाहिए। दस्तवेज उत्पादन एवं फसलोत्तर प्रबंधन, प्रसंस्करण; विपणन एवं निर्यात के लिए उपलब्ध अवसंरचना के साथ जोड़ने के लिए, या निर्मित किए जाने के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण को अपनाने पर केंद्रित होना चाहिए।

6. उपजकर्ता/किसान भारत सरकार के अन्य विभागों की मौजूदा स्कीमों के तहत सहायता के हकदार होंगे, ताकि ये योजनाएं क्षेत्र में अधिकतम लाभ के लिए उपयुकत तालमेल और समाभिरूपता सुनिश्चित कर सकें।

7. आवेदक परियोजना के जीवन चक्र के दौरान परियोजना की प्रगति पर नजर रखने के लिए स्पष्ट रूप से सत्यापित संकेतक प्रदान करेगा।

8. डीपीआर के लिए टेम्पलेट पर निम्नलिखित जानकारी (सीमित नहीं) होना अनिवार्य होगी :

 (i) परिचय एवं पृष्ठभूमि

 (ii) आधारभूत सर्वेक्षण

 (iii) आवेदक प्रोफाइल

 (iv) स्वॉट विश्लेषण

 (v) उद्देश्य

 (vi) परियोजना का कार्यक्षेत्र

 (vii) कार्यान्वयन योजना – घटक-वार विवरण, आद्योपांत मूल्य श्रृंखला के लिए प्रस्तावित हस्तक्षेप, परियोजना क्षेत्र में कार्यबल की उपलब्धता के साथ परियोजना को समाप्त करने की कार्यनीति

 (viii) अधिप्राप्ति योजना

 (ix) विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां

 (x) नवाचार

 (xi) निगरानी एवं मूल्यांकन

 (xii) परियोजना की निगरानी के लिए संकेतक

अनुबंध-5

आवेदन-पत्र

1. आवेदक का विवरण :

क्र .सं.	**ब्योरा**	**विवरण**
i.	कंपनी/फर्म के नाम सहित पूरा संपर्क विवरण/पता, टेलीफोन/ फैक्स नम्बर, मोबाइल नम्बर, ई-मेल	
ii.	आवेदक की विधिक स्थिति (सरकारी संस्थान/संगठन/ सार्वजनिक उपक्रम, संयुक्त उद्यम, गैर-सरकारी संगठन, सहकारी/कंपनी/साझेदारीफर्म/स्वामित्व, किसान निर्माता कंपनी, स्वयं सहायता क्लस्टर, आदि)	
iii.	पंजीकरण संख्या/सीआईएन	
iv.	पैन/टिआईएन/टैन	
v.	आधार पंजीकरण संख्या	

2. कार्यान्वयन एजेंसी के निदेशक (निदेशकों)/प्रमोटर (प्रमोटरों)/साझेदार (साझेदारों) का विवरण

क्र.सं.	**प्रमोटर/(रों) साझेदार(रों) का नाम**	**पता**	**टेलीफोनफैक्स/ नम्बर/ मोबाइल नम्बर/ ईमेल-**	**आधार नम्बर**	**पैन नम्बर**	**शेयर होल्डिंग पैटर्न**	**निवल संपत्ति**
यदि आवश्यक हो, तो कृपया अतिरिक्त पंक्तियां जोड़ें।							

3. खाद्यकृषि/ उत्पादन प्रसंस्करण में कार्यान्वयन एजेंसी के अग्रणी प्रोमोटर (रों)/ भागीदार (रों) का अनुभव

क्र.सं.	**नेतृत्व प्रमोटर (रों)/ भागीदार (रों)/ आवेदक निकाय का नाम**	**अनुभव का विवरण**	**कुल कारोबार का विवरण (वर्ष-वार)**	**संलग्न समर्थनकारी दस्तावेज यदि कोई हो (हां/नहीं)**

4. **प्रस्तावित परियोजना की रूपरेखा :**

(क) स्थान का विवरण

(i) कृषि क्लस्टर के लिए भूमि का प्रस्तावित स्थान (गांव/जिला/राज्य का नाम)

(ii) आवश्यक भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)

(iii) कब्जे की स्थिति (स्वामित्व/लीज**)

(iv) भूमि उपयोग रूपांतरण (सीएलयू) की स्थिति

(v) पानी और बिजली कनेक्शन का प्रमाण

(vi) पहुंच मार्ग की उपलब्धता

(vii) संयोजकता विवरण: राष्ट्रीय राजमार्ग; राज्य राजमार्ग;
फ्रेट कॉरिडोर, स्वर्णिम चतुर्भुज;
निकटम क्लस्टर से दूरी (किलोमीटर में)

(viii) निर्देशांक विवरण (देशांतर और अक्षांश)

(ix) सोर्स की जाने वाली कृषि वस्तुएं

(ख). प्रस्तावित अवसंरचना

क्र.सं.	**सृजित की जाने वाली प्रस्तावित सुविधाओं के प्रकार***	**संख्या**	**कुल क्षमता [एमटी, एमटी एचआर/, जहां भी लागू हो]**	**निर्मित क्षेत्र**	**अनुमानित निवेश**	**एक वर्ष में प्रत्येक सुविधा के प्रचालन के दिनों की संख्या**
i.	सीए स्टोर					
ii.	सामान्य शीत गृह भंडार /					
ii.	प्रशीतित स्टोर					
iv.	पूर्वप्रशीतन- चैम्बर्स					
v.	छंटाई, ग्रेडिंग, वैक्सिंग, वजन, पैकिंग की सुविधा					
vi.	राइपनिंग चैम्बर					
vii.	आईक्यूएफ					
viii.	प्रशीतन					
ix	प्रयोगशाला					
x.	पैकहाउस					

	क्लस्टर में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की आवश्यकता के अनुसार कोई अन्य सुविधाएं					

* केवल सांकेतिक सूची

5. परियोजना की वित्तीय एवं व्यवसाय योजना :

अनुमानित परियोजना लागत विवरण

मद	**राशि (करोड़ रुपये में)**
भूमि	
भूमि विकास	
आधारभूत समर्थकारी अवसंरचना	
मुख्य प्रसंस्करण अवसंरचना	
गौण प्रसंस्करण अवसंरचना	
अन्य प्रचालन पूर्व व्यय	
कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन राशि	
आकस्मिक यप्रचालन पूर्व व्य/	
कुल	

वित्त के प्रस्तावित साधन

स्रोत	**राशि (करोड़ रुपये में)**
पीईए योगदान टीइक्वि/	
बैंक ऋण	
वाणिज्य विभाग से प्राप्त सहायता अनुदान	
अप्रतिभूत ऋण ब्रिज लोन/	
कुल	

6. लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या

7. रोजगार सृजन के अनुमान

क. प्रत्यक्ष रोजगार :

ख. अप्रत्यक्ष रोजगार

आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

दिनांक :

स्थान:

अनुबंध 6

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रारूप

1. **परिप्रेक्ष्य/पृष्ठभूमि :** यह खंड को मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत की जा रही स्कीम/परियोजना का एक सामान्य विवरण प्रदान कराएगा।

2. **समाधान की जाने वाली समस्याएं** : इस खंड में स्थानीय/क्षेत्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर परियोजना/स्कीम के जरिए समाधान की जाने वाली समस्या का विवरण देना चाहिए। समस्या की प्रकृति एवं परिमाण के संबंध में साक्ष्य बेसलाइन डाटा/सर्वे/रिपोर्टों आदि द्वारा प्रस्तुत, समर्थित किया जाना चाहिए।

3. **लक्ष्य एवं उद्देश्य :** इस खंड को महत्व के अनुरूप क्रमित, अर्जित किए जाने के लिए प्रस्तुत विकास उद्देश्यों को इंगित करना चाहिए। प्रत्येक विकास उद्देश्य के लिए प्रत्याशित आउटपुट/डेलीविरेबल को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।

4. **कार्यनीति :** इस खंड को विकास उद्देश्यों को अर्जित करने के लिए उपलब्ध वैकल्पिक कार्यनीतियों का एक विश्लेषण प्रस्तुत करना चाहिए। प्रस्तावित कार्यनीति के चयन के कारणों को सामने लाना चाहिए। स्थानों के अधिमानीकरण के आधार (क्या सुसंगत है) को इंगित किया जाना चाहिए। इस खंड को वर्तमान में जारी पहलों और वह तरीका जिसमें दुहराव से बचा जा सकता है और प्रस्तावित परियोजना के साथ सृजित किया जा सकता है, का एक विवरण भी उपलब्ध कराना चाहिए।

5. **लक्षित लाभार्थी :** लक्षित लाभार्थियों की एक सुस्पष्ट पहचान होनी चाहिए। स्कीम/परियोजना निर्माण के समय हितधारकों के साथ परामर्श सहित हितधारक विश्लेषण आरंभ किया जाना चाहिए। समाज के निर्बल वर्गों पर परियोजना का प्रभाव, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, का आकलन किया जाना चाहिए और किसी प्रतिकूल प्रभाव के मामले में उपचारात्मक कदम का सुझाव दिया जाना चाहिए।

6. **प्रबंधन** : स्कीम कार्यान्वयन के परियोजना प्रबंधन के लिए विभिन्न एजेंसियों के उत्तरदायित्वों की व्याख्या की जानी चाहिए। विभिन्न स्तरों पर संगठन संरचना, मानव संसाधन आवश्यकताओं एवं निगरानी प्रबंधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।

7. **वित्त :** इस खंड को लागत आकलनों, स्कीम/परियोजना के लिए बजट, वित्तपोषण के माध्यमों एवं व्यय की चरणबद्धता पर फोकस करना चाहिए। लागत साझाकरण और लागत वसूली (उपयोगकर्ता प्रभारों) के लिए विकल्पों की खोज की जानी चाहिए। हितधारक प्रतिबद्धता, परियोजना की पूर्णता के बाद परिसंपत्तियों का रखरखाव और अन्य संबंधित मुद्दों सहित परियोजना संधारणीयता के मुद्दों पर भी इस खंड में ध्यान दिया जाना चाहिए।

8. **समय-सीमा :** इस खंड को कार्य आरंभ होने की प्रस्तावित जीरो तिथि इंगित करनी चाहिए एवं जहां भी सुसंगत हो, एक पीईआरटी/सीपीएम चार्ट उपलब्ध कराना चाहिए।

9. **लागत व्यय विश्लेषण** : जहां कहीं भी ऐसे रिटर्न परिमाणन-योग्य हों, परियोजना का वित्तीय और आर्थिक लागत-लाभ विश्लेषण आरंभ किया जाना चाहिए। ऐसा विश्लेषण सामान्य रूप से अवसंरचना परियोजनाओं के लिए संभव होना चाहिए, लेकिन हमेशा सार्वजनिक वस्तुओं और सामाजिक क्षेत्र परियोजनाओं के लिए व्यावहार्य नहीं हो सकती है।

10. **जोखिम विश्लेषण :** इस खंड को कार्यान्वयन में जोखिम की पहचान एवं आकलन एवं किस प्रकार इनका न्यूनीकरण प्रस्तावित है, पर फोकस करना चाहिए। जोखिम विश्लेषण में कानूनी/ संविदात्मक जोखिम, पर्यावरणगत जोखिम, राजस्व जोखिम, परियोजना प्रबंधन जोखिम, विनियामकीय जोखिम इत्यादि शामिल हो सकते हैं।

11. **परिणाम :** सफलता के आकलन का मानदंड और विकास लक्ष्यों को अर्जित किया गया है या नहीं, को मापयोग्य तरीके से परिभाषित किया जाना चाहिए। बेसलाइन आंकड़े उपलब्ध कराए जाने चाहिए जिसके लिए परियोजना की सफलता का आकलन परियोजना की समाप्ति (प्रभाव आकलन) पर किया जाएगा। स्कीम प्रदेय/आऊटकम के लिए सफलता मानदंड को भी निकटस्थ लक्ष्यों के लिए उपलब्धि का आकलन करने हेतु निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

12.**मूल्यांकन :** परियोजना के लिए मूल्यांकन प्रबंध, चाहे वह सामाजिक हो, मध्यकालिक या परियोजना-पश्चात हो, को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। यह नोट किया जा सकता है कि एक अवधि से दूसरी अवधि तक स्कीमों की निरंतरता, तृतीय-पक्ष मूल्यांकन के अनुमति के बिना नहीं होगी।

13. अंत में, दस्तावेज के आरंभ में, एक स्व-निहित कार्यकारी सारांश रखा जा सकता है।

अनुबंध -7

गैर-तकनीकी सिविल कार्य

निम्नलिखित मदों को गैर-तकनीकी सिविल कार्य माना जाएगा और परियोजना अनुदान की गणना के लिए अपात्र माना जाएगा (यह सूची केवल संकेतात्मक है, व्यापक नहीं):

1. चारदीवारी
2. संपर्क सड़क/भीतरी सड़कें
3. भूमि की लागत
4. प्रशासनिक कार्यालय भवन
5. कैंटीन
6. शौचालय
7. श्रमिक आराम गृह एवं श्रमिकों के लिए क्वार्टर
8. सेप्टिक टैंक, ड्रेनेज इत्यादि
9. सिक्युरिटी/गार्ड रूम या इंक्लोजर
10. परामर्शी शुल्क, कर इत्यादि
11. कोई अन्य गैर-तकनीकी सिविल कार्य जो कोल्ड चेन या स्टोरेज अवसंरचना की प्रत्यक्ष आवश्यकता से संबंधित नहीं है।

दिवाकर नाथ मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2020

F. No. 17/4/2018-EP (Agri.IV). — The Central Government has approved the guidelines of the Central Sector Scheme for implementation of Agriculture Export Policy.

1. Introduction

A dynamic nation of 1.3 billion consumers with rising discretionary incomes, changing food patterns, vast farming area, diverse agriculture and a large population dependent on agriculture has propelled India to the world's centre stage as a big consumer market and also as a key supplier of food products. It has often been suggested that an essential element of "Make in India" has to be "Bake in India", i.e. a renewed focus on value addition and on processed agricultural products. The rapidly growing global population and shrinking farmlands, coupled with changing socio-economic, agro-climatic and dietary patterns, have challenged scientists and policymakers to reconsider how we grow and feed 7.5 billion global citizens. India's quest, then, is to grow sustainably, trade abundantly and progress harmoniously. Agriculture export, if properly supported by infrastructure, institutional back

up, packaging, freight transport and connected to the internal production system backed by market access will be in a position to transform the agricultural economy.

The Agriculture Export Policy (AEP) is framed with a focus on agriculture export oriented production, export promotion, better farmer realization and synchronization within policies and programmes of Government of India.

2. Objectives and Vision of AEP

OBJECTIVES

- To double agricultural exports from present ~US$ 30+ Billion to ~US$ 60+ Billion by 2022 and reach US$ 100 Billion in the next few years thereafter, with a stable trade policy regime. • To diversify our export basket, destinations and boost high value and value added agricultural exports including focus on perishables.
- To promote novel, indigenous, organic, ethnic, traditional and non-traditional Agri products exports.
- To provide an institutional mechanism for pursuing market access, tackling barriers and deal with sanitary and phytosanitary issues.
- To strive to double India's share in world Agri exports by integrating with global value chain at the earliest.
- Enable farmers to get benefit of export opportunities in overseas market.

VISION

Harness export potential of Indian agriculture, through suitable policy instruments, to make India global power in agriculture and raise farmers' income.

3. Scope

The Scheme aims to implement various elements of the Agriculture Export Policy 2018, through the following components:

i. **Assistance to State Agencies:**

In para 5.4A of the AEP, it has been stated that a State Department/Organisation will be identified as the nodal agency for promotion of agricultural exports. The function of such nodal agency would be to remain engaged with the stakeholders, identify infrastructure and logistic bottlenecks, liaise with different Departments within the State Government to address issues faced by the exporters, identification of the schemes run by various Central Ministries and Agencies and maximize the allocation for the State Governments, organize reverse buyer-seller meet at the State level by getting buyers from abroad, encouraging State level exporters to participate in the relevant international fairs, etc.

DoC will play a proactive role in capacity building, supporting and handholding such nodal agency at the State level, through Appointment of two consultants in each State with sufficient experience on Agri business, Agri exports and foreign trade. Capacity building of officials in the States (10 in each State) is also proposed.

ii. **Assistance for Institutional Mechanism:**

Para 5.4D of the AEP provides for establishment of Institutional Mechanism at Union level, State level and cluster level to support exports. A monitoring cell is to be established in DoC to follow up on deliverables by all the concerned Departments, Organisations and State Governments. A Project Monitoring Unit (PMU) would be engaged to scrutinise and monitor the applications for financial assistance under the scheme.

It is also proposed to provide assistance for appointment of CEOs and the support staff for the identified clusters. Initial grant for a cluster for establishment of office, FPOs etc. is also proposed. The State Governments may support the product specific clusters which have a high potential of export and work with related agencies for facilitating export from those clusters.

iii. **Assistance for Clusters:**

Para 6.1 of the AEP emphasizes focus on export-centric cluster based approach. A more focused pre and post-harvest management of the production, upgrading the supply chain are required to attain much higher levels of export from those clusters. Initially there are 46 clusters (Annexure I) identified. Assistance for the following would be provided in the identified clusters:

a. Post-harvest infrastructure in clusters
b. Capacity building
c. Grant towards PPP-IAD
d. Laboratories
e. New technology / new machinery introduction

f. GAP implementation

The focus in clusters is on developing export oriented infrastructure in the identified cluster areas where integrated post-harvest, processing facilities, laboratories etc. by providing assistance under this scheme and also with support from MOFPI (PMKSAMPADA) / DoC (TIES) / DAC&FW (MIDH) / DAHDF (IDMF), etc. to have export oriented farm production and processing in compliance with standardized protocols, packaging, sanitary and phyto-sanitary issues and linking and networking this to next level of marketing channel.

iv. **Assistance for Product Development and Value Addition:**

Para 6.2A of the AEP underlines the need for product development and value-addition for indigenous commodities. Assistance for new product development, developing packaging, market research, shelf life increase, research on improving production efficiency / decrease in production cost will be provided.

v. **Assistance for Marketing:**

Para 6.2B of the AEP proposes measures to give a boost to the value added organic exports. Similarly, para 6.3 suggest measures for marketing and promotion of 'Produce of India'. Assistance for shelf space, product registration, marketing campaign (print / electronic) for specific organic, value added, ethnic, GI, Region specific and branded products, Road shows / BSM in target countries, product sampling in target countries will be provided under the component.

A portal to provide e-commerce platform for providing direct export linkage to farmers' cooperatives, producer societies etc. is to be created. Development, operation & maintenance of the portal and capacity building of the stakeholders would be assisted.

vi. **Assistance for Research & Development:**

Para 6.7 of the AEP focusses on Research and Development activities required to promote exports of agricultural products. Assistance for matching fund for importing germplasm and seed varieties of identified exportable focus crops from breeders across the world will be provided. The assistance may be used for royalty payment, field trials, multiplication centres, capacity building etc.

4. Eligible organizations

Assistance will be available to individuals, Group of farmers/ growers/ consumers, Partnership/ Proprietary firms, Self Help Groups (SHGs), Exporters, Farmers Producer Organization (FPOs), Companies, Corporations, Cooperatives, Cooperative Marketing Federations, Local bodies, Agricultural Produce Market Committees (APMC) & Marketing Boards, Agency of State Government, Public Sector Units and State Governments.

Govt. of India has decided to earmark funds for extending benefit of the scheme to SC & ST. Therefore, subject to meeting the basic eligibility criteria, SC / ST beneficiaries will be given preference in sanction of the projects under the scheme to the extent of earmarked fund allocation for each category. SC or ST promoter(s), as the case may be, shall hold majority stake in the entity. Any change in the constitution / composition of such entity will be done with prior permission of Empowered Committee.

5. Pattern of Assistance (Details of assistance available under different subcomponents are provided in Annexure 2)

5.1 Assistance to State Agencies

a. Appointment of consultants - States / UTs have been requested to identify either a Department or an Agency of the State Govt. that could be declared as a nodal body for agricultural exports. In order to support proper functioning of the nodal agency, assistance would be provided for appointment of two consultants under this component. To begin with, consultants can be appointed in those States, which have initiated cluster development activities.

The consultant is expected to have minimum 15 years of experience in Agri business, Agri exports and Foreign trade. Basic Qualification has to be MBA in Agri Business or from the Indian Institute of Foreign Trade. Consultants will be appointed by the State Nodal Agency in consultation with the DoC for the implementation of the scheme. Detailed terms of reference of appointment and outcomes to be delivered by the consultant would be provided by the State nodal agency.

Note : DoC will not be a party to any dispute regarding issues related to service/emoluments of the consultant to be employed and the contract will be only between the respective State nodal agency and the consultant.

b. Logistics and establishment – Assistance would be provided for logistics & establishment expenses in establishing the State nodal agency. Assistance will be provided only for the specific items required for office setup. Advance approval for specific expenses under this sub-component need to be sought from the Empowered Committee.

c. **Capacity building of officials** – About ten officials in each State would be provided training on export promotion, activities of export promotion bodies and export promotion councils. Under this sub-component, assistance would be provided for meeting expenses for capacity building in reputed institutions like IIFT, CWTOS etc.

5.2 Assistance for Institutional Mechanism

a. Engaging interns for Monitoring Cell – about 10 interns (on need basis) will be engaged for monitoring cell of the AEP scheme. These interns will be part of Project Monitoring Unit (PMU). Interns would be appointed by APEDA, in consultation with the DoC. Detailed terms of reference of appointment and outcomes would be devised by APEDA.

Note: DoC will not be a party to any dispute regarding issues related to service/emoluments of the interns to be employed and the contract will be only between the APEDA and the interns.

b. Engaging Project Monitoring Unit – A Project Monitoring Unit (PMU) will be identified for the monitoring of the AEP scheme. An open tender would be floated by APEDA for selection of the PMU. A master database with adequate filters and data columns to capture the sector-wise, product-wise progress, region-wise data and the details of value of assistance provided under this scheme on an end-to-end basis, etc. will be developed and maintained by PMU for real time monitoring of this scheme.

c. Establishment Expenses – Assistance would be provided for establishment expenses of monitoring cell for AEP. Only specific items required for office setup would be eligible. Advance approval for specific expenses under this subcomponent needs to be sought from the Empowered Committee.

d. Engagement of CEO for clusters – In order to support setting up / plan / coordinate activities in a cluster, assistance would be provided for appointment of a Chief Executive Officer (CEO) for each cluster. CEO would report to the nodal collector of the cluster and work in close coordination with the export promotion agency promoting export of the specific product from cluster. Initial vetting of the projects in the cluster, for eligibility for assistance under the scheme, would be done by the CEO. The CEO would also be responsible for monitoring implementation of the projects. One of the major objective of cluster based approach is to organise farmers into FPOs and integrate the farmers in the cluster with value chain for exports and possibly nurture them to become exporters and CEO will have a major role to play in this endeavour.

The CEO is expected to have minimum 15 years of experience on Agri business, Agri exports and Foreign trade. Basic Qualification has to be MBA in Agri Business or from Indian Institute of Foreign trade. For dairy and marine products cluster, post-graduation in diary and fisheries respectively will also be considered. CEO will be appointed by the State Nodal Agency in consultation with the DoC for the implementation of the scheme. Detailed terms of reference of appointment and outcomes to be delivered by the CEO would be provided by the State nodal agency.

Note: DoC will not be a party to any dispute regarding issues related to service/emoluments of the CEO to be employed and the contract will be only between the respective State nodal agency and the CEO.

e. Engagement of staff for clusters – In order to assist CEO of a cluster and for development of cluster maximum of 2 persons per cluster will be engaged by the State nodal agency as support staff for the CEO. Detailed terms of reference of appointment and outcomes to be delivered by the staff would be provided by the State nodal agency.

Note: DoC will not be a party to any dispute regarding issues related to service/emoluments of the staff to be employed and the contract will be only between the respective State nodal agency and the staff.

f. Initial grant for establishment of cluster office, FPO's, etc. – Assistance would be provided for establishing the cluster office, FPO's etc. Only specific items required for office setup, organising FPOs etc. would be eligible. Advance approval for specific expenses under this subcomponent need to be sought from the Empowered Committee.

5.3 Assistance for Clusters

a. Post-harvest infrastructure in clusters – under this subcomponent, post-harvest management activities like handling, grading, pre-conditioning, packaging, transient storage, transportation, distribution, curing and ripening and where possible long term storage can be taken up.

Projects relating to establishment of pre-cooling units, pack houses, mobile pre-cooling units, staging cold rooms, cold storage units with and without controlled atmosphere capability, integrated cold chain system, supply of refrigerated vans, refrigerated containers, primary/mobile processing units, ripening chambers, evaporative/low energy cool chambers, preservation units, onion storage units, zero energy cool chambers, integrated packhouse, plant health treatment units like VHT, HDT, irradiation facilities, Fumigation chambers etc., processing infrastructure including IQF, blanching / cooking line, high tech packaging, high tech sorting / grading, high tech

conveyor systems and such other items not specifically mentioned above but are determined to be essential for post-harvest management of agriculture products by the Empowered Committee would be eligible for assistance under the scheme. Specific requirements and conditions for the sub-component are mentioned in Annexure 3.

b. Capacity building - Under this subcomponent, training of farmers, FPOs, entrepreneurs, workforce in production/processing/export activities, exporters, officers will be taken up. Programmes for providing appropriate training to participants may be taken up in the cluster or outside the cluster depending on the nature of training to be imparted. Training of trainers program is to be given focus so that a large number of farmers can be further trained. Apart from the work force, Capacity development of different food processors, particularly from MSME and unorganized segments etc. is required to enable them to tap overseas markets and global agribusiness value chain.

c. Grant towards PPP-IAD - Applicant under this subcomponent is to be preferably a leading exporter of the product from India. The component will cover all types of farmer related services and other interventions leading to productivity enhancement except inputs or hardware. Applicant will have complete flexibility in designing a project for ensuring an integrated value chain approach, covering all aspects from production to marketing and export. Projects can span 3-5 years with the target of at least 5000 farmers/5000 acres for each cluster. Key interventions, which must feature in each project are:

a) mobilizing farmers into producer groups and registering them in an appropriate legal form or creating informal groups as may be appropriate to the area and Project (joint stock or producer companies, cooperatives, self-help group federations etc.);
b) technology infusion;
c) value addition;
d) marketing solutions;
e) project management.

The applicant would need to make efforts to bring promising/innovative technologies which can lead to increase in productivity and make value chain of particular crop or group of crop efficient and increase net income of farmers. Applicant would also need to either procure end product of the project (commodity) or they can form consortium with other end user entities, who will buy the end product. Applicant has to invest in creation of new infrastructure, to promote the agribusiness in the cluster, along with activities related to agriculture extension for increasing productivity. Applicant will indicate activities and will make commitments regarding their share in the project. Specific requirements and conditions of the sub-component are mentioned in Annexure 4.

d. Laboratories – Assistance would be provided to establish laboratory infrastructure to ensure compliance of domestic/international standards on food. The laboratories can carry out screening / confirmatory tests for microbiology, chemicals etc. Assistance for operations would not be available. The applicant has to ensure adequate supply of consumables and qualified technical resources to run the laboratory. Laboratories getting assistance would have to get the required accreditation / recognition from relevant agencies within six months of commencement of their operation. The Laboratories / food testing facilities so created will be accessible to public and will be made available for testing their products at a reasonable tariff.

e. Introduction of New technology / new machinery - Assistance under this subcomponent would be available for adoption/purchase of any new equipment or technology for food processing, safety and quality requirements like laser land levellers, propelled sprayers, precision seeders and planters, transplanters for seedlings, multi-threshers, drones for agriculture purpose etc. in the cluster. The determination of whether a technology / machinery are new one is to be substantiated by the applicant. The proposal should be for substantial improvement in farm efficiency and reduce drudgery of farm work force. The proposals for assistance for technology / equipment / machinery, already in wide use, would not be considered. Empowered Committee would decide on whether a technology / machinery is eligible for assistance under this subcomponent.

f. GAP implementation - GAP certification has been introduced to encourage farmers to adopt good agricultural practices in line with global GAP, so that farmers are able to get better price for their produce in domestic as well as international market. Proposals for certification as per IndGAP would be given preference. Certification agencies to be involved for this will be as per list approved by APEDA.

5.4 Assistance for Product Development

a. New Product Development – Assistance would be provided for developing new / potential product range targeted at international market / taste / preference under this subcomponent. The proposal should not be a repetition of similar works conducted in the past. The product developed should have potential for creating a new revenue stream for the applicant. Realistic projected exports for next three years of the product would need to be provided. Assistance would also be available for public sector applicants, in which case the body of work would be available to public.

b. Developing packaging/shelf life increase - Assistance would be provided for exploring the new packaging/shelf life enhancement suitable for export purpose. The proposal should not be a repetition of similar works conducted in the past. The project should have potential for reducing wastage / improving quality / extend the shelf-life of product substantially. Project can be for a generic product line or even for a specific product form having good export potential. Assistance would also be available for public sector applicants, in which case the body of work would be available to public.

c. Research on improving production efficiency/decrease in production cost – Assistance would be provided for projects targeting improvement in production efficiency of a product and / or interventions which would significantly bring down the production cost of a product for export. Baseline indicators and expected outcomes are to be provided along with the proposal. Assistance would also be available for public sector applicants, in which case the body of work would be available to public.

5.5 Assistance for Marketing

a. Shelf Space Assistance – Assistance for availing shelf space for Indian brands / produce of India would be provided in order to increase the visibility of product. Proposal for assistance should be accompanied by the invoice of the retail chains/ super markets who are charging for the shelf space. The entity, where the shelf space is sought, should be a strong player in the market in that region / country and should have at least 100 outlets. Assistance for shelf space would be provided for a specified duration of marketing cycle or a maximum of six months at a stretch. Baseline sales in the entity where shelf space is sought and expected outcomes are to be provided along with the proposal. Empowered Committee would decide on admissibility of the fresh proposal or proposal for repeated assistance.

b. Product Registration – The proposal for assistance under this subcomponent should have details of the product in respect of which registration is sought, country in which registration is sought along with justification for such registration. Assistance would be available for registration of Trade Mark / IPR / GI / Patents etc.

c. Marketing campaign – Assistance under this subcomponent is primarily for a sustained communication campaign in the form of a branding blitz in both digital and traditional media platforms across key targeted markets with joint efforts of exporters, autonomous bodies and IBEF. Assistance for marketing of organic, value added, ethnic, GI, region specific and branded products can be availed by the exporters. Assistance is also available for generic marketing campaign for product / sector specific campaigns done by associations, export promotion agencies. Supply of material / samples, product literature, advertisement, social media promotions etc. in international print/ electronic media etc. would be eligible for assistance under this subcomponent.

d. Road Shows/BSM in Target Countries – Assistance would be provided to promote and enhance visibility of Indian products in the international market. Venue Cost, including organising expenses, publicity cost for the event, translation and Interpreters charges, freight charges for exhibits and any other specific component as approved by the Empowered Committee would be eligible for assistance.

e. Assistance for Product Sampling in Target Countries – Sampling of product to potential customers at end retail points is a proven marketing tool. Assistance would be provided to exporters of Indian branded products or to associations / export promotion agencies for generic products. Organising expenses, human resources used for sampling, freight charges for exhibits would be eligible for assistance.

f. Development of e-commerce Platform – AEP envisages development of e-commerce platform to enable direct linkages among producers / processors, exporters/export markets, FPO, etc. The assistance would be provided for development & operation of platform and operational expenditure of the same and capacity building/workshops for farmers, field functionaries, State officials, Exporters, etc. for operating the e-commerce platform.

5.6 Assistance for R & D

a. Royalty, field trials, multiplication centre, capacity building for identified products, creation/identification of disease/pests free zone - In order to maintain competitive edge in the international market and to meet the requirements / tastes of international consumers, preferences of such markets need to be kept in mind. Assistance for such initiatives by public sector / exporters would be provided under this subcomponent. The applicant would be solely responsible for selection of variety, terms and conditions of import, terms and conditions of royalty. Applicant shall take approval of the Competent Authority in India, as the case may be, for import of such planting material. Imported germplasm / seed varieties should have a strong export focus and potential for creating a new revenue stream for the applicant. Realistic projected exports for next three years of the product may be provided. Appraisal of ICAR on the need for importing a germplasm/variety would need to be obtained by the applicant. Assistance would also be available for public sector applicants, in which case the body of work would be available to public.

b. Laboratory for Spices/Tea/Food Products at Guwahati - A laboratory would be set up in Guwahati for testing of Spices/Tea/Food products grown in North East Region.

6. Submission of Project Proposal:

i. A proposal for assistance under the scheme will be submitted by the applicant in the prescribed application format (Annexure 5) along with the information/documents required.

ii. Detailed Project Report (DPR), as outlined in Annexure 6, consisting of technical, commercial, financial and management aspects of the project need to be provided along with application.

iii. The project proposal is to be meticulously formulated after conducting a detailed survey and based on available data and must clearly bring out the desired objective.

iv. Measurable outcome should be indicated in the project proposal, which would also be one of the main criteria for sanctioning the projects. The project proposal must spell out outcomes envisaged and the indicators that would be used to measure the impact of the project e.g. measurable outcomes such as expected increase in farmers' income.

v. Application for assistance for capital expenditure should be accompanied by In-principle or final term loan sanction and a detailed appraisal note from the Bank/ Financial Institution including Non-Banking Financial Companies (NBFCs) registered with Reserve Bank of India (RBI). Final term loan sanction letter from Bank/FI should be submitted within two months from the date of issue of approval letter.

vi. Applicant has to enclose Certificate of incorporation/ registration of the applicant firm, Memorandum and Articles of Association in case of Company/ Bye laws of the Society, Co-operative, Self Help Group/ Registered partnership deed, etc., Bio-data/background/ experience of the project/entity promoter(s).

vii. Documents in support of net-worth of the project/entity and also promoter(s) / proposed shareholder(s) of project/entity; Annual reports and Audited Financial Statement of Accounts of the applicant firm/company/cooperative/ Partnership/ Self Help Group, etc. for last three years are to be submitted.

viii. Documents in support of land title in the name of the applicant or land lease, duly registered with the competent authority for not less than the 10 years to be submitted. The proposals having ownership and possession of suitable land with Change in Land Use (CLU) for the project will only be further processed for assistance under the scheme.

ix. The project proposal must establish the ways to increase the farmer income, increase in export of product, increase in quality of product etc.

7. Process of scrutiny and Approval

i. Application for assistance under cluster development is to be submitted to both CEO of the cluster and the State Nodal Agency.

ii. Application for assistance under cluster development is to be appraised by both CEO of the cluster & State Nodal Agency separately and forward it to the Export Promotion Agency.

iii. The application will be further appraised and recommended by the Export Promotion Agency (Authority / Board / EPC) having the mandate for the product.

iv. The CEO of the cluster, State Nodal Agency and Export Promotion Agency (Authority / Board / EPC) will be provided a time period of 45 days to process the application at their end. If no comments are received from any entity within the specified time period, it will be assumed that there is no objection on the application for assistance and the application will be processed accordingly.

v. While appraising the project, the justification, including the intended benefit in terms of addressing the specific export bottleneck, will be evaluated by all the entities involved.

vi. The proposal with the detailed comments and recommendation will be forwarded to the Project Monitoring Unit (PMU).

vii. The proposal after appraisal will be technically and financially evaluated by the Project Monitoring Unit (PMU) within 30 days and forwarded to the Empowered Committee for their consideration.

viii. The proposals of the applicants for assistance will be considered by an Empowered Committee specially constituted for this Scheme. PMU report would be put up to Empowered Committee headed by Commerce Secretary and with participation of Secretaries of DAC&FW, DAHD, DoF, DARE / ICAR, DoCA, DFPD, MoFPI, FSSAI, DGFT, Customs and representatives of concerned State Governments for the approval of the projects/schemes. The Empowered Committee will be the final authority to take a decision on the proposal.

ix. The Empowered Committee can delegate the approval process for certain components of the Scheme to a Sub-Committee.

x. The proposal would be further processed for assistance as per the unique needs of each cluster / product / market.

xi. In-Principle Approval (IPA) by monitoring unit for implementation of AEP in the Department shall be issued within six months from the date of receipt of application. Subsequent to issuance of IPA, amendments in the same can be considered on the request of the applicant but within the validity of IPA.

xii. IPA issued will generally be valid for 12 months in case of infrastructure / marketing / product development and for six months in capacity building or as mentioned in the IPA. The request for extension of IPA may be considered only on case to case basis on merits before expiry of the original IPA.

xiii. Department of Commerce reserves the right to get the projects appraised from an outside agency. In case the project is not found viable, the application shall not be considered.

xiv. The grant of IPA shall be based on eligible items and activities only and any expenditure on ineligible items or activity shall not be considered.

xv. The decision of the Empowered Committee relating to admissibility of claim shall be final and mere applying for the assistance shall not provide any right to claim financial assistance.

xvi. In so far as interpretation of any of the provisions of these Guidelines is concerned, the decision of the Empowered Committee shall be final.

xvii. The basic process flow of scrutiny and approval of application under cluster development is placed at Annexure 2A.

xviii. The list of product-wise Export Promotion Council (EPC)/ Commodity Boards/ Export Development Authorities is available at the DGFT Website (https://dgft.gov.in/appendices) in Appendix 2T.

8. Monitoring

i. The Empowered committee would meet on a quarterly basis to facilitate convergence of efforts /schemes, approval of proposals for assistance under this scheme and suggest actions to be taken for achieving the objectives of AEP.

ii. PMU will periodically review the progress of the projects under the Scheme. The PMU would devise a suitable project monitoring system and shall furnish monthly reports/returns to the monitoring unit for implementation of AEP in the Department on the progress of the approved projects.

iii. The financial assistance given under the scheme shall be subject to audit by the CAG of India.

iv. The Scheme would also be evaluated for its efficacy by an independent agency engaged by DoC, after a period of 3 years from its commencement.

v. Government of India will cause physical verification and other such enquiry as deemed fit, of the projects sanctioned under the Scheme.

9. Time Schedule

i. The time schedule for completion and operationalization of project will be specified in the in-principal approval provided by Empowered Committee depending on the nature of the proposal.

ii. The applicant shall make all possible efforts to complete the project as per the stipulated timelines committed to while seeking approval for the project. In case of non-adherence to stipulated timeline, except in case of force de majeure or reasons beyond the control of applicant, the Empowered Committee may consider imposing appropriate penalty in terms of reducing the grant amount, on case-to-case basis.

iii. In case of non-adherence of time lines, a penalty of 1% of the quantum of instalment amount due for release for that instalment, will be imposed for each month's delay beyond the stipulated timeline. The maximum amount of penalty, however, shall not exceed 10% of the instalment to be released to applicant.

iv. In the event of applicant withdrawing from executing the project and the project not being completed by the applicant for any reason, the grant-in-aid amount released will be returned by the applicant to the Department along with interest (as per GFR) accrued thereon within 30 days of communication of the order for refund of such grant.

10. General conditions and requirements

i. Application should be accompanied with the following documents duly self-certified.

a. For purchase of new equipment, quotation/proforma invoice/ bills should be obtained from minimum three Original Equipment Manufacturer (OEM) or their authorized distributor/ dealer of the equipment.

b. In general, the quotations shall be sought from minimum 3 suppliers. The applicant is free to place work order at any of the three bidders however, the assistance shall be computed on the lowest quoted rate.

c. In case of feasibility study, the quotation has to be sought from the reputed consulting firms having experience of 5 years in the relevant field.

d. The cost estimate depicting Bill of Quantity, rate/unit and total amount duly certified by a Chartered Engineer or Civil Architect shall be submitted for civil work. The estimated cost and rate thereof should be within the Standard Schedule of Rate (for basic items only) as notified by Government of India and respective State Government Public Work Department.

ii. The quotations should clearly show the address, GSTN, TIN and PAN, product description with detailed specification, validity date and item/unit wise cost and total amount. Technical brochure/literature/Pamphlet depicting equipment details in case of infrastructure/laboratory equipment/any other assets etc. with clear mention of the utility.

iii. Wherever civil work is involved assistance shall be restricted only to technical civil work required for the project (List of Non-technical civil work is given in the Annexure 7).

iv. The financial assistance towards the civil work component of the project would be limited to a maximum of 25% of the total eligible financial assistance for that application.

v. Only realistic projected exports for next three years should be mentioned year wise in quantity (MTs) and value (Rs lakh) which may be verified and reviewed through PMU for considering future assistance.

vi. Application for assistance will not be considered if the applicant has availed assistance from any agency in the past and have not fulfilled the desired outcomes like not exported consecutively for 2 years after availing assistance.

vii. The applicant has to submit an undertaking that they did not avail any assistance from any other agency in the past for the item/work/unit/program/project for which assistance is sought.

viii. Subsequent applications under the scheme will be considered based on export performance/achieving desirable outcomes only.

ix. Any change in ownership/management of the applicant is to be intimated to PMU.

x. At least 10% per annum export growth for five years shall be ensured by the beneficiary subsequent to availing assistance. The Monthly Export Returns for next five years after availing financial assistance must be submitted to PMU as a mandatory condition, even if the export is nil.

xi. Priority would be given to infrastructure projects involving significant contribution of stakeholders and bank financing.

xii. The combined net worth of the applicant should not be less than two times of the grant amount sought.

xiii. Applicant needs to bring in at least 20% of the total project cost as equity / contribution and bring in term loan from the Bank/Financial Institution for an amount not less than 20% of the project cost.

xiv. Preference would be given to existing stakeholders who are already exporting agriculture products / associated with export of agriculture products for which financial assistance is sought.

xv. The applicant has to comply with all the requirements of registration / license with State Government / Local bodies / FSSAI and any other regulatory authorities. The applicant will submit an undertaking with the application mentioning all these details thereof.

xvi. The level of assistance would be limited to a maximum assistance for the sub-component for each proposal.

xvii. For the purpose of calculating the extent of contribution of the applicant under the scheme the cost of land shall not be included in the project cost.

xviii. Any organization / exporter / trader / company availing any of the provisions of the Scheme shall not be under investigation / charged / prosecuted / debarred/ black listed under the Foreign Trade Policy of India or any other law relating to export and import business.

11. Guidelines regarding release of funds:

i. Reimbursement of eligible assistance will be back ended, upon completion and submission of claim by applicant in accordance with terms and conditions of the IPA letter issued and subsequent physical verifications

if any, by PMU. The assistance to State Governments may be provided in advance with the approval of Empowered Committee.

ii. It is the responsibility of the applicant to file final claim documents complete in all respects well before the expiry of the original or extended validity, if any, of the IPA letter.

iii. The funds shall ordinarily be released to the applicant for the approved projects in lump sum after completing all procedures.

iv. Staggered Assistance: If assistance is to be staggered, justification for the same is to be provided. Each disbursement shall be subject to the applicant achieving financial closure of the previous tranche and observation of the PMU. The 1st instalment will be released as per approval of the proposal by the Empowered Committee. Further instalments would be released based on the observations of PMU and then further approval of the Empowered Committee. Certification of the physical and financial progress by the PMU engaged in accordance with this Scheme, would be a pre requisite for release of further instalments.

v. Applicant shall submit a bond to be executed regarding utilization of funds in the prescribed format.

vi. Applicant will submit a pre-receipt bill for the funds to be disbursed to it along with a certificate (in the prescribed format) that it has not indulged in corrupt practices.

vii. Release of further instalments in case of public sector applicants shall be sub subject to furnishing of the complete utilization certificate, PMU report.

viii. In case of any discrepancy / clarification, required documents shall be sought from the applicant.

ix. The final claim documents complete in all respects, shall be processed for approval.

x. The assistance amount shall be released online through NEFT / RTGS to the beneficiary, direct in their account as per detail submitted in the application.

xi. Applicants who are not existing exporters or whose application is not bank linked, a bank guarantee @25% of the eligible financial assistance is to be submitted at the time of disbursement of the assistance. Bank guarantee would be released after making exports as envisaged in the terms and conditions of the scheme.

xii. The actual budgetary allocation for the scheme may vary. Disbursement of assistance is subject to actual budget allocation.

xiii. Financial assistance is provided subject to availability of the funds.

xiv. Financial assistance is provided subject to continuation of the scheme. There shall be no claim by the applicant in carrying forward the application for financial assistance beyond the time period of the scheme.

xv. Government would not be having any kind of committed liability towards any application for financial assistance.

12. Assets

i. The assets created by the applicant shall be owned by the applicant after the completion of project.

ii. The assets acquired/created by the applicant out of government assistance shall not be disposed, encumbered or utilized for purposes other than those for which the funds have been released.

iii. A register of permanent and semi-permanent assets acquired wholly or partly out of the funds provide by the Government of India should be maintained in the Form GFR19.

iv. In case of cancellation of the project at any point of time, all the assets and any unutilized grant shall vest with the Government of India.

13. Recall of the Central Grant

Empowered committee retains the right to curtail/ recall the central grant along with applicable penal interest in case of unsatisfactory use of the grant including compromise with the quality envisaged, or partial/incomplete implementation of the project.

14. Dispute Redressal Mechanism (DRM)

A standing mechanism to review projects sanctioned under the scheme and to resolve disputes will be activated at the Department of Commerce with the following composition:

a. Joint Secretary (EP -Agri), Department of Commerce - Chair

b. Director (EP-Agri), Department of Commerce – Member Secretary

c. Director (EP-MP) / Director (Plantation) (only for marine products and Plantation product cluster respectively) – Member

d. Director, DAC&FW – Member
e. Director, DAHD / Director, DoF (depending on the cluster) – Member
f. Director, MoFPI – Member
g. Representative of State Nodal Agency where the project is implemented - Member

This DRM will be the forum to resolve any disputes which arise during the implementation of the projects. If this committee is unable to resolve the dispute, it will be referred to the Empowered Committee. The decision of the Empowered Committee in any matter will be final.

Disclaimer: The Scheme guidelines are subject to revision from time to time as per the policy directions from GOI

Annexure-1

List of clusters

Product	Region	State	District
Banana	South	Kerala	Thrissur, Wayanad, Thiruvananthapuram
		Andhra Pradesh	Kadapa, Anantapur
		Tamil Nadu	Trichy, Theni, Pollachi
	West	Maharashtra	Jalgaon, Kolhapur, Solapur
		Gujarat	Bharuch, Narmada, Surat
Pomegranate	South	Andhra Pradesh	Anantapur, Kurnool
		Karnataka	Belgaum, Mysore
	West	Maharashtra	Solapur, Ahmednagar, Pune
	Central	Madhya Pradesh	Khargone, Khandwa, Burhanpur
Mango	West	Maharashtra	Ratnagiri, Sindhudurg
		Gujarat	Junagarh, Valsad, Kutch, Navsari
	North	Uttar Pradesh	Saharanpur, Meerut, Lucknow
	South	Telangana	Rangareddy, Mehboobnagar, Warangal
		Andhra Pradesh	Krishna, Chittoor, Kurnool
Grapes	West	Maharashtra	Pune, Nasik, Sangli
Rose Onion	South	Karnataka	Bangalore Rural, Chikkaballapura
Onion	West	Maharashtra	Nasik
	Central	Madhya Pradesh	Indore, Sagar, Damoh
Potato	North	Uttar Pradesh	Agra, Farukkabad
		Punjab	Jalandhar, Hoshiarpur, Kapurthala, Navashehar
	West	Gujarat	Banaskantha, SabarKantha
	Central	Madhya Pradesh	Indore, Gwalior
Tea	East	Assam	Tinsukia, Sibsagar, Dibrugarh
Coffee	South	Karnataka	Chikkamagaluru, Kodagu, Hassan
Marine products	South	Andhra Pradesh	East Godavari, Vishakapatnam, West Godavari, Nellore
	East	Odisha	Jagatsinghpur, Bhadrak, Balasore
	West	Gujarat	Kutch, Veraval, Navasari, Valsad
Chilli	South	Telangana	Khammam, Warangal
		Andhra Pradesh	Guntur
	South	Telangana	Nizamabad, Karimnagar

Turmeric		Kerala	Wayanad, Alleppy
	East East	Meghalaya	West Jaintia Hills
		Odisha	Kandhamal
Cumin	West	Gujarat	Banaskantha, Mehsana
	North	Rajasthan	Jalore, Jodhpur, Barmer, Nagaur, Pali
Pepper	South South	Kerala	Wayanad
		Karnataka	Chikmagalur
Cardamom	South	Kerala	Idukki
Isabgol	North	Rajasthan	Jodhpur, Nagaur, Barmer, Jaisalmer
Castor	West	Gujarat	Banaskantha, Kutch, Patan, Sabarkantha, Mehsana
Orange	West	Maharashtra	Nagpur, Amravati, Wardha
	Central	Madhya Pradesh	Chindwara, Agar Malwa, Shajapur
Dairy Products	North	Uttar Pradesh	Mathura
	West	Gujarat	Banashantha
Fresh Vegetables (Okhra and green chilli)	North	Uttar Pradesh	Varanasi
Poultry Products and eggs	South	Tamil Nadu	Namakkal, Salem, Erode

Annexure-2

Details of assistance under different subcomponents of the scheme

Sl.No.	Item	Assistance	Pattern of Assistance
1	**Assistance for State agencies**		
a)	Appointment of one consultant each in 20 States.	Rs 25 Lakh / consultant / annum	(i) Maximum two consultants in a State nodal Agency. (ii)The assistance for emoluments of consultant will be transferred to State Nodal Agency for further disbursement.
b)	Logistics and establishment	10 Lakh	The assistance of 10 lakhs will be disbursed to States Nodal Agency w.r.t. logistics & establishment expenses.
c)	Capacity building of officials	100% (upto 20 lakh per State)	For capacity building of about 10 officials from each State in export promotion, activities of export promoting bodies and export councils
2	**Assistance for Institutional Mechanism**		
a)	Engaging 10 interns for Monitoring Cell	Rs 6 lakhs / intern/ annum	About 10 interns will be engaged by DoC to monitor the implementation of the scheme.
b)	Engaging Project Monitoring Unit	100% (upto 2 Crore)	Project Monitoring Unit (PMU) will be engaged at the Centre Level by DoC for the evaluation of projects under the scheme.

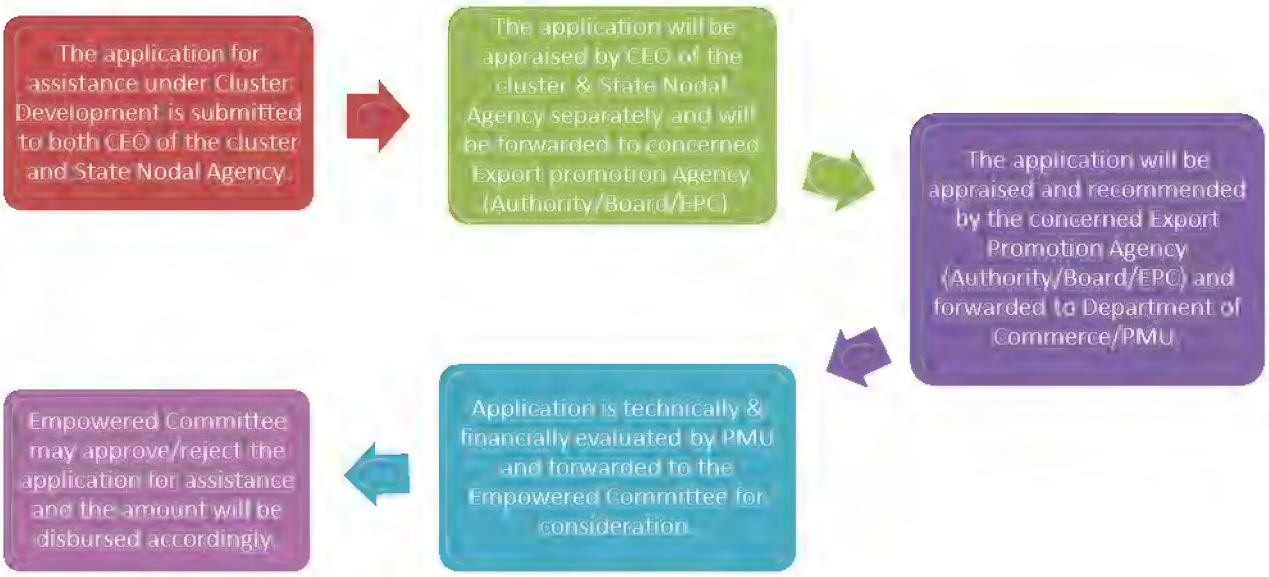
c)	Establishment Expenses	70 Lakh	For establishment expenses of monitoring cell for AEP.
d)	Engagement of CEO for clusters	Rs. 25 lakhs / CEO / annum	The assistance for emoluments of CEO will be transferred to State Nodal Agency for further disbursement.
e)	Engagement of staff for clusters (2 per cluster)	Rs. 6 lakhs / staff / annum	(i) Maximum two staff per cluster. (ii) The assistance for emoluments of staff will be transferred to State Nodal Agency for further disbursement.
f)	Initial grant for establishment of cluster office, FPO etc.	Rs 1 crore / cluster	For establishment expenses of cluster office setup, organising FPOs etc.

Sl.No.	Item	Assistance	Pattern of Assistance
3	**Assistance for Clusters**		
a)	Post-harvest infrastructure in clusters	Rs. 50 lakhs / project	(i) Each project will be provided an assistance up to 35% of the total cost subject to a ceiling of Rs. 50 lakhs. (ii) about 20 projects in each of the cluster would be assisted. (iii) Specific requirements and conditions of the scheme are mentioned in Annexure 3.
b)	Capacity Building	100% (upto 20 lakh per cluster)	Assistance for capacity building of farmers, FPOs, entrepreneurs, workforce in production/processing/ export activities, exporters, officers and training the trainers.
c)	Grant towards PPP-IAD	Rs. 5 crores / Project	(i) Assistance will be restricted to 50% of the overall per farmer investment proposed, with a ceiling of Rs. 50,000 per farmer through the project cycle subject to a maximum ceiling of 5 Crore per project which should not exceed 25% of the total cost of the project. (ii) The remaining investment should be arranged by the applicant through institutional financing and its own and farmer contributions. (iii) The project will target at least 5000 farmers spread over the project life. (iv) A maximum of two projects would be assisted for each cluster. (v) All assistance will be directly routed to farmers or reimbursed to applicant after verification of asset distribution to farmer. (vi) Specific requirements and conditions of the scheme are mentioned in Annexure 4.
d)	Laboratories	Rs. 25 lakhs / laboratory	(i) Assistance up to 35% of the total cost subject to a ceiling of Rs. 25 lakhs per laboratory (ii) One laboratory per cluster would be assisted.
e)	New Technology/Machinery Introduction	Rs. 5 crores/ cluster	(i) Assistance up to 35% of the total cost. (ii) No specific ceiling for the items assisted.
f)	GAP implementation	Rs. 10000 / Hectare	Assistance up to 35% of the total cost subject to maximum of 4 Hectare per farmer.

S. No	Item	Assistance	Pattern of Assistance
4	**Assistance for Product Development**		
a)	New Product Development	Rs. 25 lakhs / project	Each project will be provided an assistance up to 35% of the total cost subject to a ceiling of Rs. 25 lakhs.
b)	Developing packaging/shelf life increase	Rs. 10 lakhs / project	Each project will be provided an assistance up to 35% of the total cost subject to a ceiling of Rs. 10 lakhs.
c)	Research on improving production efficiency/decrease in production cost	Rs. 10 lakhs project	Each project will be provided an assistance up to 35% of the total cost subject to a ceiling of Rs. 10 lakhs.
5	**Assistance for Marketing**		
a)	Shelf Space Assistance	Rs. 10 lakhs / proposal	Each proposal will be provided an assistance up to 35% of the total cost subject to a ceiling of Rs. 10 lakhs.
b)	Product Registration	Rs 1 lakh / product	Each proposal will be provided an assistance up to 35% of the total cost subject to a ceiling of Rs. 1 lakh.
c)	Marketing campaign	Rs. 1 crore / proposal	Each proposal will be provided an assistance up to 35% of the total cost subject to a ceiling of Rs. 1 crore.
d)	Road Shows/BSM in Target Countries	Rs. 25 lakhs / proposal	Each proposal will be provided an assistance up to 35% of the total cost subject to a ceiling of Rs. 25 lakhs.
e)	Assistance for Product Sampling in Target Countries	Rs. 25 lakhs / proposal	Each proposal will be provided an assistance up to 35% of the total cost subject to a ceiling of Rs. 25 lakhs.
f)	Development of ecommerce Platform	100%	Development and operation of the ecommerce platform would be assisted through APEDA.
6	**Assistance for R & D**		
a)	Royalty, field trials, multiplication centre, capacity building for identified products	Rs 10 crores / proposal	Each proposal will be provided an assistance up to 35% of the total cost subject to a ceiling of Rs. 10 crores.
b)	Laboratory for Spices/Tea/Food Products at Guwahati	Rs 15 crores	Construction and operation of the laboratory would be assisted through Spices Board.

Annexure-2A

Process of Scrutiny and Approval under Cluster Development



Annexure-3

Specific Requirements and Conditions-Post-harvest infrastructure in clusters

The applicant shall ensure compliance of the following specific requirements relevant to the subcomponents under Post-harvest infrastructure in clusters:

A. **Cold Chain / Pack house**:

a. The proposals for Pack houses / cold storages / pre-cooling shall minimally be based on National Council for Cold Chain Development (NCCD) cold chain technical standards as available at the link http://nccd.gov.in/.

b. Requirements of importing countries have to be complied with, as per directions from Commodity Boards / EPCs from time to time.

c. The applicant shall be responsible to get the facility registered with relevant authorities within 6 months of completion of project.

II. Processing Facilities:

a. The unit must put up a value added food processing line for export purposes.

b. The unit must be HACCP / ISO 22000 certified.

Annexure-4

Specific Requirements and Conditions-Grant towards PPP-IAD

1. Average investment per farmer during project must be quantified, though an average of Rs. 1.00 lakh per farmer will be a desirable benchmark.

2. Once the projects are approved, detailed guidelines for implementation of project will be prepared by the PMU.

3. On behalf of producer farmer members FPOs can participate in PPP-IAD. Apart from activities of production they themselves or along with another end user company they should procure the end product of project.

4. PPP partners should invariably procure the end product (farm produce) in the project so as to complete the value chain (end to end solution).

5. Applicant will identify the regions in the cluster they wish to take up and develop the project for integrated agriculture development. The strategy & road map formulated should invariably contain information on geography & climate, potential of agriculture development, availability of land, SWOT analysis, and strategy for development and plan of action proposed to be taken to achieve goals in the identified region. The document should focus on adoption of cluster approach for production and linking with available infrastructure, or to be created, for postharvest management, processing, marketing and export.

6. Growers/farmers would also be entitled for assistance under existing schemes of other Departments of Government of India so that these schemes can ensure appropriate synergy and convergence for maximum benefit in the field.

7. Applicant would provide clearly verifiable indicators for tracking the progress of the project during its life cycle.

8. The template for DPR would essentially include (not limited to) information on following.

 (i) Introduction & Background

 (ii) Baseline survey

 (iii) Applicant profile

 (iv) SWOT analysis

 (v) Objectives

 (vi) Scope of project

 (vii) Implementation plan- Component wise details, Interventions proposed for end to end value chain, Strategy for rolling out the project with availability of man power in project area

 (viii) Procurement plan

 (ix) Roles & Responsibilities of different stake holders

 (x) Innovations

 (xi) Monitoring & Evaluation

 (xii) Indicators for monitoring the project

Annexure-5

Application Form

1. Details of the applicant:

S. No.	Particulars	Details
i.	Name of company/firm with complete contact details / address, Tel/Fax No. , Mobile No., Email	

ii.	Legal status of applicant (Govt. Institution / organization / PSUs, Joint Venture, NGO, Co- operative/ Company/ partnership firm/ proprietorship, Farmer Producer Company, Self Help Group, etc.)	
iii.	Registration No. /CIN	
iv.	PAN / TIN /TAN	
v.	Aadhar Registration No.	

2. Details of the Director(s)/ Promoter(s)/Partner(s) of Implementing agency

Sl. No.	**Name of Promoter (s)/Partner(s)**	**Address**	**Tel/Fax No. / Mobile No. / E-mail**	**Aadhar No.**	**PAN No.**	**Shareholding pattern**	**Net-worth**
Please add additional rows, if needed.							

3. Experience of the lead Promoter(s)/Partner(s) of Implementing agency in Food / agro produce processing

Sl. No.	**Name of lead Promoter (s)/ Partner(s)/Applicant Entity**	**Details of Experience**	**Details of Turnover (year-wise)**	**Supporting Document attached, if any (Yes/No)**

4. **Profile of the proposed project:**

(a) Details of location.

(i) Proposed location of land for agro cluster (Name Village /Dist./state)

(ii) Area of Land required (In acres)

(iii) Status of possession (Owned/ leased**)

(iv) Status of Land Use Conversion (CLU)

(v) Proof of water and power connection

(vi) Availability of Approach Road

(vii) Connectivity Details. Distance (in km's.)

from: National Highway; State Highway;

Freight corridor, Golden Quadrilateral, nearest cluster

(viii) Coordinate Details (Longitude & Latitude)

(ix) Agro commodities to be sourced

(b). Proposed infrastructure

Sl. No.	Type of facilities proposed to be created *	No.	Total Capacity [MT, MT/Hr., where ever applicable]	Built-up Area	Estimated Investment	No. of Days of operation of each facility in a year
i.	CA Store					
ii.	Normal cold store/warehouse					
iii.	Frozen store					
iv.	Pre-cooling Chambers					
v.	Sorting, Grading, Waxing, Weighing, Packing facility					
vi.	Ripening Chambers					
vii.	IQF					
viii.	Blast Freezing					
ix	Laboratory					
x.	Packhouse					
	Any other facilities as per the requirement of food processing units in the cluster					

* Only indicative list.

5. PROJECT FINANCIALS AND BUSINESS PLAN:

Estimated Project Cost Details

Item	Amount (Rs. in crore)
Land	
Land development	
Basic enabling Infrastructure	
Core Processing Infrastructure	
Non-core Infrastructure	
Other Pre-operative expenses	
Margin money for working capital	
Contingencies/ pre-operative expenses	
Total	

Proposed Means of Finance

Source	Amount (Rs. in crore)
PEA contribution / equity	
Bank loan	
Grants-in-aid from DoC	
Unsecured Loan/ Bridge Loan	
Total	

8. No. of farmers expected to be benefitted

9. Employment Generation projections

 a. Direct Employment:

 b. Indirect Employment:

Signature of the authorized representative of Applicant

Date:
Place:

Annexure-6

Detailed Project Report format

1. **Context/Background:** This section should provide a general description of the scheme/project being posed for appraisal.
2. **Problems to be addressed:** This section should describe the problem to be addressed through the project/scheme at the local/regional/national level. Evidence regarding the nature and magnitude of the problems should be presented, supported by baseline data/survey/reports etc.
3. **Aims and Objectives**: This section should indicate the development objectives proposed to be achieved, ranked in order of importance. The outputs/deliverables expected for each development objective should be spelt out clearly.
4. **Strategy:** This section should present an analysis of alternative strategies available to achieve the development objectives. Reasons for selecting the proposed strategy should be brought out. Basis for prioritization of locations should be indicated (wherever relevant). This section should also provide a description of the ongoing initiatives, and the manner in which duplication can be avoided and synergy created with the proposed project.
5. **Target Beneficiaries:** There should be a clear identification of target beneficiaries. Stakeholder analysis should be undertaken, including consultation with stakeholders at the time of scheme/project formulation. Impact of the project on weaker sections of society, positive or negative, should be assessed and remedial steps suggested in case of any adverse impact.
6. **Management:** Responsibilities of different agencies for project management of scheme implementation should be elaborated. The organization structure at various levels, human resource requirements, as well as monitoring arrangements should be clearly spelt out.
7. **Finance:** This section should focus on the cost estimates, budget for the scheme/project, means of financing and phasing of expenditure. Options for cost sharing and cost recovery (user charges) should be explored. Issues relating to project sustainability, including stakeholder commitment, operation maintenance of assets after project completion and other related issues should also be addressed in this section.
8. **Time Frame:** This section should indicate the proposed zero date for commencement and also provide a PERT/CPM chart, wherever relevant.

9. **Cost Benefit Analysis**: Financial and economic cost-benefit analysis of the project should be undertaken wherever such returns are quantifiable. Such an analysis should generally be possible for infrastructure projects, but may not always be feasible for public goods and social sector projects.

10. **Risk Analysis:** This section should focus on identification and assessment of risks in implementation and how these are proposed to be mitigated. Risk analysis could include legal/contractual risks, environmental risks, revenue risks, project management risks, regulatory risks, etc.

11. **Outcomes:** Criteria to assess success and whether or not the development objectives have been achieved should be spelt out in measurable terms. Base-line data should be available against which success of the project will be assessed at the end of the project (impact assessment). Success criterion for scheme deliverables/outcomes should also be specified in measurable terms to assess achievement against proximate goals.

12. **Evaluation:** Evaluation arrangements for the project, whether concurrent, mid-term or post-project should be clearly spelt out. It may be noted that continuation of schemes from one period to another will not be permissible without a third-party evaluation.

13. Last but not the least, a self-contained **Executive Summary** should be placed at the beginning of the document.

Annexure-7

List of Non-Technical civil works

The following items will be considered as non-technical civil works and will be considered ineligible for calculation of grant for the project (The list is only indicative and not exhaustive):

1. Compound Wall
2. Approach Road/internal Roads
3. Cost of Land
4. Administrative Office Building
5. Canteen
6. Toilets
7. Labour Rest Room and quarters for workers
8. Septic tank, drainage, etc.
9. Security/ Guard Room or enclosure
10. Consultancy fee, taxes, etc.
11. Any other Non-technical civil works which is not related to direct requirement of cold chain or storage Infrastructure.

DIWAKAR NATH MISHRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.02.10 16:26:49 +05'30'